12. पर्यावरण

पर्यावरण एवं वन विभाग का प्रमुख कार्य देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे झीलें और नदियां, इसकी जैव-विविधता, वन और वन्य जीवन, जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करना और प्रदूषण से बचाव व उसे समाप्त करने से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है। इन नीतियों को लागू करते समय मंत्रालय सतत विकास और मनुष्यों के कल्याण से जुड़े सिद्धांतों के बारे में भी ध्यान रखता है। मंत्रालय देश में सयुंक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), अंतर्राष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और वह सयुंक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (यूएनसीईडी) की अनुवर्ती कार्यवाही पर भी ध्यान देता है। इस मंत्रालय पर बहुपक्षीय निकायों जैसे सतत विकास आयोग (सीएसडी), विश्व पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और पर्यावरण से जुड़ी क्षेत्रीय इकाइयां जैसे एशिया और प्रशांत सामाजिक और आर्थिक परिषद (ईएससीएपी) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से संबंधित मामलों का भी उत्तरदायित्व है।

मंत्रालय के मुख्य कार्य हैं :

- वनस्पतियों, जीवजंतुओं और वन्यजीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण
- प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण
- वनरोपण और वन क्षेत्र का विकास
- पर्यावरण की सुरक्षा एवं
- पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कानून और विनियामक उपाय हैं। कानूनों के अलावा राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और पर्यावरण और विकास पर नीतिगत वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1988, प्रदूषण नियंत्रण वक्तव्य 1992 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 भी भविष्य में कार्रवाई की देखरेख करेंगे।

प्राकृतिक संसाधन-सर्वेक्षण और अन्वेषण

पेड़-पौधों का सर्वेक्षण

भारत की वनस्पतियों का सर्वेक्षण

देश के पौध संसाधनों की अन्वेषण और आर्थिक महत्व की पौध प्रजातियों की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वे करता है। इसकी स्थापना 16 फरवरी, 1890 को हुई थी। इसकी मदद के लिए देश के विभिन्न भागों में दस सर्किल अधिकारी हैं। देश के वैज्ञानिक विकास के लिए, इसका पुनर्गठन किया गया और विभिन्न योजना अवधि में इस आधार को व्यापक कर नए क्षेत्र जैसे एक स्थान पर उगने वाली दुर्लभ

और विलुप्त हो रही पौध प्रजातियों की सूची बनाना, संरक्षण की रणनीति बनाना, कमजोर परिस्थितिकी प्रणाली, अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन, पुष्पोत्पादन घटकों में परिवर्तन, जंगली अलंकारिक पौधों आदि की निगरानी, वानस्पतिक उद्‍यानों में प्रजाति वानस्पतिक और भूवानस्पतिक अध्ययन और जड़ीबूटियों पर राष्ट्रीय आंकड़ा जीवंत संग्रहों, पौध अनुवांशिक संसाधनों, पौध वितरण और नामावली का विकास शामिल किया गया। भारतीय वानस्पतिक सर्वे सामान्य और संरक्षित क्षेत्रों में पौधविधिता का अन्वेषण, सूचीबद्ध करना, दस्तावेजीकरण, और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पेड़-पौधों का प्रकाशन करना ताकि प्रजातियों में गुणात्मक परिवर्तन, वनस्पति उद्‍यानों में गंभीर खतरेवाली प्रजातियों का संरक्षण और पारंपरिक आर्थिक रूप से लाभकारी प्रजातियों की पहचान और उनके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अचार संहिता बनाना।

- बीएसआई के सर्किल कार्यालयों और इकाइयों द्वारा 38 क्षेत्रीय अन्वेषण/जीवंत पौध संग्रह/ईआईए अध्ययन दौरों का आयोजन किया गया। जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के विभिन्न जिलों में वन्यजीव अभयारण्य, जलग्रहण क्षेत्रों, दलदली जमीन और मैनग्रोव क्षेत्रों को शामिल किया गया था।
- क्षेत्र अन्वेषण/पौध संरक्षण दौरों के दौरान, 5,500 से अधिक नमूनों का संग्रह किया गया। जिसमें समूहों के पौधों जैसे ऐलजी, फंजी, लाइकेन, ब्राओफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जैसी प्रजातियां शामिल हैं। बीएसआई की इकाइयों और विभिन्न सर्किलों द्वारा 900 प्रजातियों से संबंधित करीब 3000 नमूनों की पहचान की गई।
- राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/जिला वनस्पतियों के अंतर्गत 10 हरबेरियम परामर्श दौरों/ अध्ययनों का आयोजन किया गया; जिसमें परिशोधित और वानस्पतिक अध्ययन भी शामिल हैं।
- बीएसआई द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य की वनस्पतियों के पादप विविधता के प्रलेखन का कार्य किया गया।
- बीएसआई द्वारा अब तक 11 नई प्रजातियों/किस्मों, 16 नये राष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड और 8 राज्य स्तर के रिकॉर्ड की खोज की गई। 50 वर्षों के बाद वर्ष 2007-08 के दौरान बीएसआई के द्वारा 4 नई प्रजातियां भी एकत्र की गईं।

जीवजंतुओं का सर्वेक्षण

भारत का प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जेडएसआई) देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में सलंग्न है जिससे देश की समृद्ध जंतु विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। वर्ष 1916 में स्थापित जेडएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भागों में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान ने हाल ही के वर्षों में अपने सर्वेक्षणों और अध्ययन को छह प्रमुख कार्यक्रमों में समन्वित कर अपनी कार्ययोजना को पुनर्गठित किया है। कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों के जीवजंतुओं, संरक्षित क्षेत्रों के जीवजंतु, प्रमुख परिस्थितिकी प्रणालियों के जीवजंतु, लुप्तप्राय प्रजातियों की सर्वेक्षण स्थिति और पारिस्थितिकी अध्ययन/पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 से संबंधित जब्त की वाई वन्यजीव सामग्री की पहचान शामिल हैं। इसके अलावा भारत के जीवजंतु संरक्षण के लिए पहले से चल रहे कार्यक्रम भी जारी रहे।

विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्रों और कुछ चुनिंदा संरक्षित क्षेत्रों में एक सौ एक व्यापक सर्वेक्षण कराये गये। पांच सर्वेक्षण कार्यान्वित किये गये। छत्तीसगढ़ में राऊघाट भिलाई इस्पात संयंत्र में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का एक सर्वेक्षण कराया गया। उसके अलावा पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिये कई लघु अवधि सर्वेक्षण भी कराये गये। पहले से जारी सर्वेक्षणों के साथ-साथ सामग्री एकत्र करने पर विस्तृत अध्ययन भी किये गये। इस वर्ष के दौरान लुप्तप्राय जंतुओं पर स्थितिगत सर्वेक्षण जारी है।

- राष्ट्रीय जीवजंतु संग्रह के 1165 प्रजातियों से संबंधित 13016 जंतुओं को शामिल करके उसे और समृद्ध किया गया। उसके अलावा 96 भारतीय और विदेशी संस्थाओं और व्यक्तिगत स्तर पर प्रमुख गतिविधियां चलाई गईं और प्रजातियों की पहचान और परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं।
- वर्ष 2007-08 के दौरान जेड एसआई और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कई पारिस्थितिक-प्रणाली, संरक्षित क्षेत्रों और पारिस्थितिक स्थितिगत सर्वेक्षण और जीवजंतु अन्वेषण चलाये गये।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवजंतु पर प्रकाशित पुस्तक *फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ टाइगर ऑफ इंडिया रिजर्व* का विमोचन किया।
- नवंबर 2007 के दौरान भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण की वेबसाइट शुरू की गई। इस वेबसाइट का पता है http://www.zsi.gov.in.

वन संसाधन और सर्वेक्षण

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून

वन

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला ऐसा संगठन है जो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करता है। इसके अलावा प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तारण का कार्य भी यह संगठन करता है। इसकी स्थापना 1 जून, 1981 को की गई थी। इसका मुख्यालय देहारादून में और चार क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बंगलुरु में हैं। प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय और नियंत्रण मुख्यालय द्वारा किया जाता है। उसके अलावा वन क्षेत्रों के नक्शे तैयार करना, आंकड़े एकत्र करना और प्रशिक्षण देना इसकी प्रमुख गतिविधियां हैं। इसके कार्यालय वनों के अंदर और वनों के बाहर वृक्षों की सूची तैयार करने और मुख्यालय द्वारा सौंपी गई अन्य गतिविधियों को चलाते हैं।

- भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन क्षेत्र का दूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण करके परिणाम 'स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट' (एस.एफ.आर.) में प्रकाशित करता है। यह कार्य 1987 में शुरू हुआ था और अब तक 9 एसएफआर प्रकाशित हो चुके हैं और 10 वां प्रकाशनाधीन है। चालू 10 वें चक्र (एसएफआर-2005) में एफएसआई ने उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग किया है। 1987 में अमरीकी दूर संवेदी उपग्रह से आंकड़े एकत्र करने के कार्य को शुरू करके 1995 में इस कार्य को स्वदेशी उपग्रह भारतीय दूर संवेदी उपग्रह (आईआरएस) पर जारी रखा गया।

  वन क्षेत्रों के नक्शे राज्य के वन्य विभागों, अन्य एजेन्सियों और सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2001 से अब तक नक्शों की प्रतिलिपियां और डिजिटल रूप में नक्शे रखे गये हैं।

वन पुनर्पयोगी संसाधन है और ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

राज्य की वन रिर्पोट 2005 के अनुसार (वर्ष 2005 के मूल्यांकन के अनुसार) देश में कुल 677,088 कि.मी. वन क्षेत्र है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60 प्रतिशत है। 54,569 कि.मी. (1.66%) अत्यंत सघन वन, 3,32,647 कि.मी. (10.12%) औसत घने वन और 2,89,872 कि.मी. (8.82%) खुले वन क्षेत्र हैं। इसमें बाद में जुड़ा वन क्षेत्र है 38,475 कि.मी. (1.17%)।

देश के वन क्षेत्र का प्रतिशत संकलन के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2,287,263 कि.मी. क्षेत्र को लिया गया है। इस क्षेत्र का मूल्यांकन करने के बाद यह पता चला है कि देश का अधिकतर हिस्सा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, ग्लेशियर, खड़ी चढ़ाई और चट्टानों से भरा है, इस क्षेत्र पर जलवायु और प्राकृतिक कारणों से वृक्ष लगाना संभव नहीं है। हाल ही में एफएसआई द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में लगभग 1,83135 कि.मी. क्षेत्र में करीब 4000 मी. ऊंचे क्षेत्र का पता लगाया है जहां वृक्ष लगाना संभव नहीं है। अगर इस हिस्से को वन क्षेत्र के अध्ययन के लिए देश के भौगोलिक हिस्से से अलग करके देखा जाए तो यह देश के भौगोलिक हिस्से का 21.8% होगा।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो मध्य प्रदेश में 76013 कि.मी. वन क्षेत्र वाला पहले स्थान पर आने वाला राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (67,777 कि.मी.) छत्तीसगढ़ (55863 कि. मी.) का स्थन है। वन क्षेत्र के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को ध्यान में रखते हुए मिजोरम का 88.63% भाग वाला पहले स्थान का राज्य है उसके बाद नगालैंड (82.75%), अरुणाचल प्रदेश (80.93%) और अंडमान और निकोबार द्वीप (80.36%) का स्थान है।

हाल ही में तैयार वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कच्छ वनस्पतियां (मैंग्रोव) 4445 वर्ग कि.मी. (0.14 प्रतिशत) में पाई जाती हैं। अत्यधिक सघन कच्छ वनस्पतियों का क्षेत्रफल 1,147 वर्ग कि.मी. (25.8 प्रतिशत), कम सघन कच्छ वनस्पतियों का क्षेत्रफल 1629 वर्ग कि.मी. (36.6 प्रतिशत) और खुली कच्छ वनस्पतियों का क्षेत्रफल 1669 वर्ग कि.मी. (37.6 प्रतिशत) है।

वन क्षेत्र के रिकार्ड के बाहर लगाये गये वृक्षों का आकलन भी किया जाता है, इस क्षेत्र की दूर संवेदी उपग्रह द्वारा जानकारी लेना संभव नहीं है। यह क्षेत्र नक्शे में आने वाले न्यूनतम क्षेत्र (1 हेक्टेयर) सेंमी. कम है। और ऐसे क्षेत्र हैं जहां वृक्ष दूर-दूर लगे हैं। एक हेक्टेयर से कम वाले वन क्षेत्रों जहां बहुत अधिक पेड़ नहीं हैं और कहीं-कहीं पेड़ों के झुंड हैं, ऐसे शहरी क्षेत्रों जहां बीच में सड़कें झीलें आदि भी हैं ऐसे क्षेत्रों के चित्र लेना और नक्शे तैयार करना तकनीकी सीमाओं के कारण उपग्रह द्वारा लेना संभव नहीं रहता।

भारत का पेड़ों से घिरा कुल भू-भाग अनुमानत: 91.663 कि.मी. है जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.79% है। यह भी देखा गया है कि सबसे अधिक वन पूर्वी हिस्सों (11,293 कि.मी.) उसके बाद उत्तरी मैदानों (10747) और पश्चिमी तटों (8 307) पर हैं यद्यपि भौगेलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी तटों पर वनों का प्रतिशत सबसे अधिक (6.85%) उसके बाद पश्चिमी घाटों (5.37%) और पूर्वी घाटों (4.84%) का स्थान है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में 255 कि.मी. सबसे कम वृक्ष हैं जबकि यह पूरी तरह से वन क्षेत्र है।

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2002 से एक नई राष्ट्रीय वन सूची तैयार की गई और अपनाई गई। देश को 14 भू-मार्ग क्षेत्रों में बांट कर और इन क्षेत्रों में से 60 जिलों को चुनकर उनकी सूची तैयार की गई। प्रत्येक चक्र में देश के वन क्षेत्र के करीब 8000 प्लांटों को लिया गया।

हर दो वर्ष बाद बढ़ रहे वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाना अब संभव हो गया।

मंत्रालय ने वन प्रमाणन पर नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समूह/प्रशासनिक इकाई बनाया है। यह समूह/इकाई इन तीन समितियों द्वारा कार्य करेगी।

- प्रमाणन मानदंड के लिए समिति
- प्रमाणन प्रक्रिया के लिए समिति
- मान्यता दिलाने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए समिति

देश में इमारती लकड़ी और गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों आदि के राष्ट्रीय प्रमाणन के लिए आवश्यक मानदंड और प्रक्रियाओं के लिए और सड़क के नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन उत्पादों सहित आयात दरों के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की है ताकि कच्ची लकड़ी और तैयार लकड़ी या उसके उत्पादों के व्यापार के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा सके।

मंत्रालय ने वन सांख्यिकी के इस्तेमाल और प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संस्थागत और मानवीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय वन डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ/परामर्श/कार्यकारी ग्रुप गठित किया है।

21 मार्च, 2007 को विश्व वन दिवस के अवसर पर माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम है 'नेशनल फोरेस्ट्री डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम–ए विज़न' इस पुस्तक में मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बैठकों में दी गई जानकारी का ब्योरा है।

संरक्षण

कच्छ वनस्पतियां और प्रवाल भित्तियां

मंत्रालय द्वारा कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में अग्रणी भूमिका निभाई जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा देश के कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण तथा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986) के अंतर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना (1991) में कच्छ वनस्पतियों तथा प्रवाल भित्तियों को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है और इन्हें सीआरजैड–I के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों को उच्च स्तर की सुरक्षा हासिल है। बढ़ावा देने के उपायों के अंतर्गत सरकार ने 38 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों तथा चार प्रवाल भित्ति क्षेत्रों के व्यापक संरक्षण और प्रबंधन हेतु देशव्यापी आधार पर पहचान की है। विवरण तालिका–1 और 2 में दिया गया है। राष्ट्रीय नीति, 2006 में इस बात को माना गया है कि कच्छ वनस्पतियां और प्रवाल भित्तियां महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरणीय संसाधन हैं जिनसे समुद्री जीव प्रजातियों को आश्रय मिलता है, उन्हें तीव्र मौसमी बदलाव से सुरक्षा मिलती है इसके साथ ही ये सतत पर्यटन के लिए संसाधन का आधार हैं। नीति में यह भी माना गया है कि कच्छ वनस्पतियों और दूसरे तटीय संसाधनों जैसे कच्छ वनस्पतियों और तटीय वनों को विभिन्न क्षेत्रों से खतरा बना हुआ है।

भारत में कच्छ वनस्पतियां विश्व का लगभग पांच प्रतिशत हैं और ये तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। भारत में कच्छ वनस्पतियों के

कुल क्षेत्र का आधे से थोड़ा सा कम पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। भारतीय वन सर्वेक्षण गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कच्छ वनस्पतियों सहित पूरे देश में वनस्पति क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहा है। भारत में विश्व की कुछ सर्वश्रेष्ठ कच्छ वनस्पतियां हैं। मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र स्थापित किया है।

प्रवाल भित्तियां

प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है :

- मन्नार की खाड़ी
- कच्छ की खाड़ी
- लक्षद्वीप
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

भारतीय प्रवाल भित्ति क्षेत्र अनुमानतः 2,375 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2008 को विश्व प्रवाल भित्ति वर्ष के रूप में मनाने के लिए मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सरकार और गोवा के राष्ट्रीय समुद्रीक संस्थान द्वारा 'प्रवाल भित्ति की स्थिति' पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला को प्रायोजित किया। यह कार्यशाला 21–23 जनवरी, 2008 को लक्षद्वीप के कदामत द्वीप पर आयोजित की गई थी।

कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण पर बनी योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी समन्वय के जरिये द्विपक्षीय प्रणाली है।

जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र

जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देश्य क्षेत्र है। यूनेस्को के मानव और जैवमंडल (एमएबी) कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यूनेस्को द्वारा तैयार जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व व्यापी ढांचे में शामिल होने के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कुछ निश्चित शर्तों और कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। इसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालियां और भू-दृश्य (लैंडस्केप) आते हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख भू-दृश्यों के संरक्षण और पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान को बनाए रखने वाली आर्थिक और मानव विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और शिक्षा, सूचना का आदान प्रदान, अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण देना है। अब तक 10 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और इन क्षेत्रों के अंतर्गत 25 जैव भौगोलिक प्रांत हैं।

इन जैवमंडलीय क्षेत्रों को इसलिये बांटा गया ताकि प्रत्येक आरक्षित क्षेत्र की निगरानी की जा सके और उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।

मंत्रालय ने अब तक चौदह जैव मंडलीय क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ जैव मंडलीय क्षेत्र को देश के 15वीं जैव मंडलीय क्षेत्र के रूप में 29 जनवरी 2008 को शामिल किया।

देश में 15 जैवमंडलीय क्षेत्रों में से चार आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन (पश्चिम बंगाल) मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) नीलगिरी (तमिलनाडु केरल और कर्नाटक) और नंदादेवी (उत्तराखंड) को विश्व के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। कंचनजंगा (सिक्किम) मानस (असम)

सिमलीपाल (उड़ीसा) और पंचमढी (मध्य प्रदेश) के आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। शेष जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को विश्व नेटवर्क में शामिल करने की भी कोशिश की जा रही है।

जैवमंडलीय आरक्षित प्रमुख क्षेत्रों का संरक्षण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी रहेगा। लेकिन जैवमंडलीय आरक्षित बफर क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अलग विनियमन तैयार किये जा रहे है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अंतर्गत नये विनियमों को परिभाषित किया जाएगा।

जैव विविधता संरक्षण

सजीव आर्गेनिज्म एवं पारिस्थितिकीय जटिलताओं की जैव-विविधता, जिसका वे एक भाग हैं, परिवर्तनशील है। इसमें प्रजातियों एवं पारितंत्रों के अंदर की विविधता भी शामिल है। भोजन, कृषि, औषधि एवं उद्योग में जैव-विविधता की सापेक्ष खपत होती है। जैव-विविधता के संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा उसके लिए पर्याप्त नीतिगत दस्तावेजों की समीक्षा करने, उन पर निगरानी रखने तथा उन्हें तैयार करने के लिए जैव विविधता पर एक योजना शुरू की गई थी।

जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि (सीबीडी)

सबसे महत्वपूर्ण समझौता 1992 में रियो डी जिनेरो में 1992 में विश्व शिखर वार्ता के दौरान किया गया जो कि जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं पर किया गया एक व्यापक समझौता है। सीबीडी के 190 देश सदस्य हैं। यह सम्मेलन सदस्य देशों के जैविक स्रोतों के अधिकारों की संप्रभुता को बनाये रखने के लिए आयोजित किया गया था। इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं : जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का स्थायी इस्तेमाल और जैनेटिक संसाधनों के इस्तेमाल के लाभों का उचित एवं सही भगीदारी। भारत सीबीडी का सदस्य देश है।

सीबीडी की अब तक आठ बैठकें हो चुकी हैं। इसकी आठवीं बैठक ब्राजील में क्यूरिटिबा में 20-31 मार्च 2006 को आयोजित की गई थी। नौवीं बैठकी मई, 2008 में जर्मनी, बॉन में 19-30 मई को आयोजित की गई।

दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों पर सीबीडी की क्षमता बढ़ाने और उसकी समीक्षा के लिए भारत में उप-क्षेत्रीय कार्यशाला (सीओपी-8) आयोजित की गई। यह कार्यशाला 2-4 अप्रैल, 2007 से देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा आयोजित की गई।

सीओपी-8 के निर्णयों के बाद सीबीडी के अंतर्गत 4 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित की गई। इस दिशा में 2-6 जुलाई 2007 को फ्रांस, पैरिस में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी परामर्श पर सहायक निकाय की 12वीं बैठक शामिल है। दूसरी बैठक 9-13 जुलाई, 2007 को पैरिस में ही आयोजित की गई।

ओपन एंडिड वर्किंग ग्रुप की पांचवीं बैठक कनाडा में 8-12 अक्टूबर, 2007 को मांट्रीयाल, कनाडा में आयोजित की गई। उसके बाद 15-19 अक्टूबर, 2007 को मांट्रीयाल में ही आयोजित की गई।

2006 में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय जैविक नीति और कार्ययोजना पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट को देखते हुए कार्य किया जा रहा है।

1 अक्टूबर, 2003 को चेन्नई में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह प्राधिकरण जैव-विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था। अनुसंधान पर दिशा-निर्देश की अधिसूचना और जैनेटिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की तीन बैठकें हुईं। इसके अलवा प्राधिकरण ने अधिनियम के प्रावधनों के प्रति जागरूकता जगाने के लिए कई सेमीनार और गोष्ठियां भी आयोजित कीं।

आनुवंशिकी अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति

मंत्रालय ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, (1986) के अंतर्गत पारिसंकरमय माइक्रआर्गेनिज्म आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों अथवा सैल्स, 1989 (नियम, 1989 के रूप में विख्यात) के आयात और भंडारण के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति, जोकि नियम 1989 के अंतर्गत एक सर्वोच्च निकाय है, को बड़े पैमाने पर ट्रायल करने और सजीव रूपांतरित जीवों को वाणिज्यिक आधार पर रिलीज करने और यह सुनिश्चित करने का अध्यादेश प्राप्त है कि एल एम ओ को वातावरण में छोड़ने से पूर्व उनकी वैज्ञानिक और सुरक्षित रूप से रिसर्च और परीक्षण करा लिया जाए। इन नियमों में परिसंकटमय अपशिष्टों से संबंधित ऐसे आवेदनों को भी शामिल करने की व्यस्था है, जिन्हें आनुवंशिक रूप से रूपांतरित नहीं किया गया हो। परिसंकटमय माइक्रोआर्गेनिज्म में ऐसे जीव शामिल होते हैं जो प्राणियों और वनस्पतियों के लिए पैयो जैनिक होते हैं। अप्रैल, 2007 से आज तक आनुवंशिकी अभियांत्रिक अनुमोदन समिति की सात बैठकें हो चुकी हैं।

बीटी टेक्नोलॉजी को बॉलवार्म एक प्रमुख नाभी जीव को नियंत्रित करने के लिए आनुवंशिकीय अभियांत्रिक के जरिए कॉटन की फसलों में प्रयोग किया जाता है। जिससे फसल बरबाद होने तथा कीटनाशकों के प्रयोग का खतरा कम हो जाता है। बीटी कॉटन प्राकृतिक रूप से कीटनाशक पदार्थ पैदा करता है जोकि यूबीक्वीटस साइल बैक्टीरियम जिसे बैसिल थूरिंजिसिस कहा जाता है, से पैदा होता है इसे आनुवंशिक अभियांत्रिक अनुमोदन समिति ने वर्ष 2002 में भारत में व्यापक जैव सुरक्षा और वर्गों का परीक्षण करने के पश्चात अनुमोदित कर दिया। आज की तारीख तक जीईएसी के 135 बीटी कॉटन हाइब्रिड नस्लों को अनुमोदित किया है। जिनमें क्राई फस्ट एसीजीन (मोन-बीजी) सेकेंड जिसे मैसर्स माहीको द्वारा विकसित किया गया है, एनकोडिंग फ्यूजन जीन्स (क्राईजीन ईवेंट) इसे मैसर्स जे.के. एग्रीजेंटिक्स लि. ने विकसित किया है, जिनमें 73 बीटी कॉटन हाइब्रिड नस्लों, नौ कपास उगाने वाले राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में वाणिज्यिक उपयोग के लिए रिलीज किया था।

बीटी कॉटन व्यवसायिक घोषित किया गया है तथा इसकी 2002 के बाद से बड़े पैमाने पर कॉटन उगाने वाले क्षेत्रों में खेती की जा रही है। इसकी विनियमन की आवश्यकता की समीक्षा के लिए मंत्रालय ने एक उपसमिति का गठन किया है।

कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जोकि सजीव रूपांतरित जीवों के सुरक्षित स्थानांतरण, संचालन और उपयोग संबंधी पहला अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचा है, इस पर कंवेशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के तत्वावधान के अंतर्गत विचार विमर्श हुआ था। यह प्रोटोकॉल 29 जनवरी, 2000 को अपनाया गया था। एक सौ तैंतालीस देशों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 17 जनवरी, 2003 को जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना मंजूर किया था। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर, 2003 से प्रभावी हो गया है। आज की तारीख तक 143 देश प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं।

आज की तारीख तक देनदारी और सुधार संबंधी अस्थाई कार्यकारी दल की पांच बैठकें आयोजित की गई हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इन पांचों बैठकों में हिस्सा लिया था। हालांकि कई महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी, लेकिन कार्यकारी दल 12–19 मार्च, 2008 को कोलंबिया में हुई पांचवीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया, इसके विकल्पों को स्ट्रीमलाइन करने के लिये सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लायबिलिटी एंड रीड्रेस संबंधी एडहॉक ओपन एंडिड वार्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की रिपोर्ट पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इस पर भारत का नज़रिया और बातचीत के मुद्दों को तैयार कर लिया गया है और जैवविविधता, जैवसुरक्षा संबंधी कंसलटेटिव ग्रुप की बैठक में व्यापक रूप से विचार–विमर्श किया गया। मंत्रालय ने 14–01–2008 को नई दिल्ली में लायबिलिटी एंड रीड्रेस विषय पर एक नेशनल कंसलटेशन भी आयोजित किया था।

कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करने के लिए जैव सुरक्षा पर जीईएफ विश्व बैंक क्षमता निर्माण परियोजना (जून 2004 से जून 2007) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

परियोजना की उपलब्धियां तथा सफलताएं निम्नलिखित हैं :

घटक–1 मंत्रालयों के भीतर और बाहर निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण और समन्वय करने के कार्य में सुधार करने हेतु संस्थागत और कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

घटक–2 जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए उन्नत क्षमता।

घटक–3 प्रयोगशालाओं/संस्थाओं का विश्लेषण। एलएमओ का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाएं बनाना।

घटक–4 जैव सुरक्षा क्लीयरिंग हाउस और एन्हैंस्ड इन्फोर्मेशन शेयरिंग और जनजागरूकता।

वर्गीकरण विज्ञान में अखिल भारतीय क्षमता निर्माण पर समन्वित परियोजना

वर्गीकरण विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो जीवित प्राणियों के अन्वेषण, पहचान और विवरण देने में मदद करता है। लेकिन इसका कार्यक्षेत्र इसके साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। एक ठोस वर्गीकरण आधार पर्यावरणीय मूल्यांकन, पारिस्थितिकीय अनुसंधान, प्रभावी संरक्षण, प्रबंधन तथा जैविक संसाधन सतत उपयोग के लिए पहली आवश्यकता है।

अभी तक पशुओं की 90,000 प्रजातियों तथा 47000 वनस्पति प्रजातियों की पहचान की गई है और उनका विवरण दिया गया है। बड़ी संख्या में वन्य प्राणियों और पौधों का अभी पता लगाया जाना है और उनकी पहचान करके उनका विवरण दिया जाना है।

वर्ष 1992 में रियो–डी जनैरो में आयोजित कन्वैशन आन बायोलॉजिकल डाईवर्सिटी के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने वर्गीकी के क्षेत्र क्षमता निर्माण के लिए स्वयं को वचनबद्ध किया है और जीवित प्राणियों की एक इन्वेंटरी का अन्वेषण करने और उसे तैयार करने का काम शुरू किया है।

बॉटेनिक गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक (बीजीआईआर), नोएडा

बीजीआईआर (बॉटेनिक गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक) की स्थापना अन्य बातों के साथ–साथ देश की दुर्लभ, संकटग्रस्त, देशज वनस्पतियों का संरक्षण करने, उनका प्रसार करने तथा रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करने तथा क्षेत्र में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने और वनस्पति विविधता के संरक्षण पर शिक्षा द्वारा संरक्षण की जरूरतों पर जनजागरूकता बनाने के लिए की गई थी। बीजीआईआर द्वारा इस समय रिसर्च फील्ड आपरेशनों के संदर्भ में परियोजना निष्पादित करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी कार्य किया जा रहा है।

प्रगति/उपलब्धियां

यह कार्यक्रम लगभग 350 पादप प्रजातियों के साथ जारी रखा गया था जिन्हें रैडसैंडर्स मिश्रित वनों को विकसित करने के लिए वूडलैंड के साउथ ईस्ट सैक्शन में शामिल किया जा रहा है। लगभग 375 पादप प्रजातियां वुडलैंड के नार्थ सैक्शन में शुष्क पतझड़ी गंगाई सब-टाइप वनों को विकसित करने के लिए शामिल की जा रही हैं और लगभग 20 प्रजातियों को वुडलैंड के पश्चिमी समभाग के फिकस आर्बोरिप्म में शामिल किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए औषधीय पादपों और परंपरागत जानकारी को बढ़ावा देने के संबंध में यूएनडीपी-जीओआईसीईएफ-II परियोजना : यह परियोजना 2005-06 में 12.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू की गई थी और इसे नौ राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। द फाउंडेशन फार रीवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रैडीशन, बंगलुरु इस परियोजना का समन्वय कर रहा है। इस परियोजना में भागीदारी करने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र।

इनका निरीक्षण करने के लिए और अंतर विभागीय समन्वय को सुचारू बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय परियोजना प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है तथा परियोजना के कार्यान्वय के लिए दिशानिर्देश देने के लिए एक शक्ति प्राप्त प्रोजेक्ट विषय संचालन समिति का गठन किया गया है। प्रोजेक्ट के तकनीकी समन्वयन और कार्यान्वयन का कार्य फाउंडेशन फार रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, बंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। फील्ड स्तर पर प्रोजेक्ट के हिस्सों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य वन विभाग और चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना से संबंधित राज्यों ने परियोजना विषय संचालन समिति का गठन किया है और अपने-अपने हिस्सों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं। चार राज्यों में चिकित्सकीय पादप संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थानों के पहचान की प्रक्रिया, तीन राज्यों में सतत एनटीएफपीएस और चिकित्सकीय पौधे के रोपण की प्रक्रिया, चार राज्यों में केंद्रीय बीज केंद्रों के मूल्यांकन की आवश्यकता, घर में हर्बल गार्डन (बगीचा) लगाने की क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। महत्वपूर्ण चिकित्सकीय पौधों की प्रजातियों के लिए आईयूसीएन के दिशा निर्देशों के अनुसार तीव्र संकट मूल्यांकन के लिए चिकित्सकीय पादप संरक्षण क्षेत्र कार्यशालाएं तीनों राज्यों अर्थात उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में आयोजित की जा रही हैं।

वनस्पति उद्यान के लिए सहायता

दुर्लभ देशज स्थानीय पौधों के स्थान पर बाह्य संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1992 में वनस्पति उद्यान और दूरस्थ संरक्षण केंद्रों को सहायता प्रदान करने की योजना को आरंभ किया गया था। वनस्पति उद्यान और दूरस्थ संरक्षण केंद्रों को उनकी संरचनात्मक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि दुर्लभ स्थानीय पौधों का संरक्षण सरलता से किया जा सके। इन वनस्पति सर्वेक्षण की सहायता से समय-समय पर मॉनीटर किया जाता है।

मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है जो इस स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों की पहचान करेगा और अपनी सिफारिशें देगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उन दुर्लभ स्थानीय पौधों की पहचान करने में सहायता करेगा जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान वनस्पति उद्यानों के लिए सात प्रस्तावों को धन राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित किया गया है।

उपयुक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्यों को योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश परिचालित किए गए थे। संशोधित दिशानिर्देश में प्रत्येक फाइटो-जियोग्राफिक क्षेत्र में मुख्य उद्यानों की स्थापना और संवर्धन पर विचार किया गया था।

मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित मानदंड के आधार पर देश के विभिन्न वनस्पति भौगोलिक क्षेत्रों में 'लीड गार्डन' विकसित करने के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। ये लीड गार्डन छोटे-छोटे बगीचों के आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध कराएंगे और उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वन संरक्षण

वन संरक्षण प्रभाग का कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को लागू करना है, जिसे 25 अक्टूबर, 1980 को लागू किया गया था। यह अधिनियम वनभूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए परिवर्तन के लिए अनुमति देने से संबंधित है। यह गैर-प्रयोजन विकास परियोजनाओं के लिए है जैसे विद्युत, सड़क, रेलवे, सिंचाई, खनन, स्कूल, रक्षा, पेय जल, लोगों का पुन:स्थापन और पुनर्वास आदि।

1980 में इसे लागू किए जाने के बाद से लेकर 31 दिसंबर, 2007 तक लगभग 16,939 विकासशील परियोजनाओं जिनमें 11.56 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल हैं, वनविभाग की ओर से अनुमति दी गई है। इनमें विद्युत उत्पादन, सिंचाई, सड़कें बनाना, रेलवे लाइनें, सम्प्रेषण लाइन, पेय जल आपूर्ति परियोजनाएं, ग्रामीण बिजली, स्कूल, अस्पताल आदि शामिल हैं। इनमें से 84275.55 हेक्टेअर वन भूमि वाली विभिन्न श्रेणी की 2244 विकासशील परियोजनाओं को 31 दिसंबर, 2007 तक वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अधीन अनुमति दी गई है।

इसके अलावा कम विकसित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम एक हेक्टेयर वन भूमि वाली विकासशील परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत एक ही बार में अनुमति दी गई है। सरकारी विभागों द्वारा निष्पादित की जाने वाली ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं : स्कूल, डिसपेंसरी/अस्पताल, बिजली और दूर संचार लाइनें, पेय जल, जल/वर्षा का पानी संचयी संरचनाएं/लघु सिंचाई नहरें, गैर-पारंपारिक ऊर्जा स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विद्युत उप-केंद्र, संचार हॉट तथा पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/बॉर्डर आउट पोस्ट/निगरानी टॉवर। इस सामान्य अनुमोदन की वैधता अवधि को बढ़ाकर 31.12.2008 तक किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में व.स. अधि. 1980 को धारा-2 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन अलग-अलग परिवार की बिजली को भूमिगत केबल तथा तार बिछाने, पेय जल आपूर्ति/पानी की पाइप लाइनें, टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए दिया गया है जिसमें प्रति परियोजना 50 पेड़ों तक को गिराना स्वीकार्य है तथा सामान्य अनुमोदन की वैधता को 31.12.2008 तक बढ़ाया गया है।

जनजातीय तथा ग्रामीण लोगों को रहने की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत एक सामान्य अनुमोदन प्रदान करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत मान्य अधिकार धारकों को कुछेक के अधीन अपने वास्तविक घरेलू प्रयोग के लिए वन क्षेत्रों से पत्थर/स्लेट/छोटी शिलाएं प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है। इस छूट- व्यवस्था के व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति नहीं है।

सरकार ने राज्य/संघ राज्य सरकारों को अयोग्य अतिक्रमणकर्ताओं के अलावा, जनजातीय तथा वनवासियों को उनके अधिकार सत्यापन कार्य को प्रक्रिया पूरी होने तक वन-भूमि से बेदखल न करने के निर्देश जारी किए हैं। विवादित दावों के निपटारे के लिए वन भूमि पर जनजातीय वनवासियों के

अधिकारों के सत्यापन/मान्यकरण के लिए नए दिशानिर्देश भी 3 नवंबर, 2005 को जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में अधिकारों के निपटारे के लिए ग्राम और ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन करने में, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्वीकार्य साक्ष्य का स्वरूप तथा दावों को स्वीकार करने के लिए मानदंड निहित है।

क्षेत्रीय कार्यालय

इस मंत्रालय के नई दिल्ली में मुख्यालय एवं बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलांग तथा चंडीगढ़ में स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कार्य एफसीए 1980 तथा ईपीए 1986 के अंतर्गत विकासशील परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने वाले इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों तथा सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए वनों के संरक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई पर विशेष बल देते हुए चालू वानिकी परियोजनाओं तथा स्कीमों को मॉनीटर करना तथा उनका मूल्यांकन करना है।

एकीकृत वनसंरक्षण योजना

एकीकृत वन संरक्षण स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की जा रही थी तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान भी जारी रखी जा रही है। योजना आयोग ने इस स्कीम का नाम बदल कर ग्यारहवीं योजना के दौरान 'वन प्रबंधन का तीव्रीकरण' किए जाने का सुझाव दिया है। इस स्कीम के आधारिक विषयों को व्यापक बनाने के लिए आई एफ पी एस अर्थात अवसंरचना विकास तथा दावानल नियंत्रण प्रबंधन के विद्यमान तत्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो तत्वों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है।

- विशिष्ट वनस्पति तथा पारिस्थितिक-तंत्र के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन।
- पवित्र वृक्ष-कुंजू का रक्षण तथा संरक्षण

संयुक्त वन प्रबंधन: संयुक्त वन प्रबंधन की मूल अवधारणा वन के आस-पास रहने वाले लोगों की भागीदारी के विकास पर जोर देती है। संयुक्त वन प्रबंधन के दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और अद्यतन करते समय विभिन्न स्तरों पर पी आर आई के सहयोग से एन टी एफ पी के प्रबंधन और उपयोग पर जोर दिया जाता है। इस समय वन क्षेत्र के 21.99 मिलियन लोगों वाले 22.02 एम एच ए की सीमा तक 1,06,479 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां कार्यरत हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मूली बांसों की ग्रिगेरियस फ्लावरिंग का प्रबंधन

इस योजना को 30 मार्च, 2006 को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया। इसका कार्यान्वियन 8500 करोड़ रुपए के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 2005-06 से 2008-09 के दौरान किया गया। इस परियोजना को पूर्वोत्तर के सातों राज्य आई सी एफ आर ई के साथ कार्यान्वित कर रहे हैं।

वन नीति

सभी प्रकार के वनों के स्थायी विकास संबंधी नॉन लीगली बांइडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमैंट को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने विश्व वन नीति के रूप में स्वीकृत किया जिसे आम सभा में अंगीकृत किया गया। भारत सरकार ने वनों के भीतर और आस-पास रहने वालों को लघुवन इत्यादि का स्वामित्व संग्रह, प्रोसेसिंग, व्यापार और विपणन संबंधी स्वामित्व अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत

वनवासी (वन अधिकारों संबंधी मान्यता) अधिनियम, 2006 को सौंप दिया है। इससे वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एम डी जी) यानी शताब्दी के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति वनों के योगदान में भी वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय वन आयोग (एन एफ सी) अपनी तरह का पहला आयोग है, पूर्व में गठित इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 28 मार्च, 2006 को प्रस्तुत की। आयोग ने भारत में वनों की दीर्घावधि बेहतरी के साथ-साथ वनों पर आश्रित समुदायों के हितों की रक्षा और साथ ही राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की पारिस्थिकीय सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय वचनबद्धता का भी पालन किए जाने की सिफारिश की है।

रिपोर्ट में वनों की मौजूदा स्थिति की जांच की गई है। वन नीति, लीगल फ्रेम वर्क तथा वन क्षेत्र के संस्थागत और प्रशानिक ढांचे की भी समीक्षा की गई है। वन क्षेत्र संबंधी बाधाओं, वनों, वन्य जीवों तथा प्रकृति संरक्षण कार्य तथा वन कृषि, केंद्र-राज्य संबंधों, वन तथा स्थानीय समुदायों के संबंध में गहन चिंतन किया गया। रिपोर्ट में वनों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विलेखों, वन अनुसंधान, वनों और उद्योगों के बीच में संबंध, वन तथा स्थानीय समुदायों के तरीकों की गहन जांच की।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन संबंधी अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य के स्तरों/संघ राज्य सरकारों तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ 25 जून, 2007 को एक राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श किया गया था। इस परामर्श में वन सचिवों पीसीसीएफ के तथा राज्य सरकारों केंद्र शासित राज्यों के प्रशासनों के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डंस ने भाग लिया और अपने-अपने विचार रखे।

वन्यजीव संरक्षण

वन और वन्यजीवों को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्रीय मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा निर्देश देने का काम करता है तथा राज्य वन विभागों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करें। वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जबलपुर पांच क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अमृतसर, गुवाहाटी और कोचीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर किया गया है। यह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के विकास के लिए, हाथियों संबंधी परियोजनाओं के लिए स्कीमें, वन्यजीव प्रभाग को सशक्त बनाने संबंधी केंद्रीय स्कीम तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सहायता अनुदान देना शामिल है।

भारत में रक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टिड एरिया) नेटवर्क में वन राष्ट्रीय पार्क तथा 513 वन्यजीव अभयारण्य, 41 संरक्षण रिजर्व्स तथा चार सामुदायिक रिजर्व्स शामिल हैं। हमारे रक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी जटिल कार्य को अनुभव करते हुए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) को अपनाया गया जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर बल दिया गया है।

इस मंत्रालय ने देश भर में एक विशेषज्ञ दल द्वारा राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभयारण्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया था ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वन्यजीव प्रबंधन के लिए देश भर में संरक्षण दायित्वों तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क कितने कारगर प्रयास

करता है। इस प्रयोजनार्थ पांच क्षेत्रीय विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया जाता है। प्रथम चरण के दौरान 30 रक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया था।

भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर गिद्ध (वल्चर) संरक्षण के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है जो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है। सरकार ने हरियाणा में पिंजोर, पं. बंगाल में बक्सा तथा असम में रानी वन में और भोपाल, भुवनेश्वर जूनागढ़ तथा हैदराबाद के चार चिड़ियाघरों में पालन-पोषण केंद्रों को स्थापित किया है। ये केंद्र कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का संशोधन 2006 में किया गया था। इस ब्यूरो के अधिकार और दूसरे कार्यों को इस अधिनियम की धारा 38 में परिभाषित किया गया है। इस ब्यूरो के गठन से चार क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित एक साथ समेमित कर दिया गया है। इसका एक नया क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में भी गठित किया गया है।

वन्यजीवों संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की चौथी बैठक 1 नंवबर, 2007 को माननीय वन एवं वन्यजीव मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में लुप्तप्राय जीवों के रिकवरी कार्यक्रम और समुद्री जीवों के संरक्षण संबंधी उपसमिति की स्थापना करना शामिल है।

9 जुलाई, 2007 के आदेशानुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित समिति की बैठक 10 सितंबर, 2007 को माननीय वन और वन्यजीव मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

यह मंत्रालय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण आदि संबंधी निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संयोजनों की मुख्य एजेंसी है। भारत वन्यजीव संरक्षण संबंधी पांच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों-कन्वेशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा (साइट्स), इंटरनेशनल यूनियन फौर कंजरवेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सिज (आईयूसीएन), इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (आईआरयूसी) तथा कन्वेशन आन माइग्रेटरी स्पीसिज (सीएमएस) में भारत की भी भागीदारी है।

साइट्स संबंधी पार्टियों का चौदहवां सम्मेलन 3-15 जून, 2007 के दौरान हेग, नीदरलैंड में हुआ था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। माननीय पर्यावरण एवम् वनमंत्री ने भी सीओपी 14 संबंधी सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया और एजेंडा की विभिन्न मदों विशेषकर उन मदों पर जिनका संबंध राष्ट्रीय हितों से अथवा जो अप्रत्यक्ष रूप से देश के संरक्षण संबंधी प्रयासों पर आघात करने वाले थे, पर अपना विरोध दर्ज किया। भारत के एशियाई बाघ तथा बारहसिंगे के संरक्षण संबंधी प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। सीओपी में भारत द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की भी प्रशंसा की गई। भारत ने सम्मेलन में बताया कि भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में वर्ष 2006 में किए गए संशोधन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन का उल्लेख करना भी शामिल है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाघों के वाणिज्यिक प्रजनन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानने की अपील की क्योंकि इससे बाघों की संख्या पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद बाघ संरक्षण के लिए भारत, चीन, नेपाल, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संयुक्त प्रस्ताव पेश किया जिसे सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।

भारत विश्व विरासत स्थलों की सूची बनाने के लिए उत्तरदायी वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स का सदस्य है जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के स्थलों को शामिल करता है। मंत्रालय का वन्यजीव विभाग विश्व विरासत के प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

भारत में विश्वस्तर के प्राकृतिक स्थलों के महत्व को देखते हुए 'वर्ल्ड हैरिटेज बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम फॉर इंडिया : बिल्डिंग पार्टनर शिप टू सपोर्ट यूनेस्कोज वर्ल्ड हैरिटेज प्रोग्राम' नाम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजना आरंभ की गई है। यह परियोजना यूनेस्को तथा यूनाइटेड नेशन्स फाउंडेशन (यूएनएफ) से प्राप्त अनुदान के नियोजन का परिणाम है तथा इसे मंत्रालय के महानिदेशक की अध्यक्षता में संचालन समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के तत्वावधान में साइबेरियन क्रेंस के संरक्षण के संबंध में छठी बैठक अलमाटी, कजाकिस्तान में हुई थी। बैठक के दौरान क्योलाडियो नेशनल पार्क, राजस्थान को साबेरियाई सारसों के लिए संभावित शीतकालीन स्थल के रूप में स्वीकार किया गया। साइबेरियाई सारसों के संरक्षण के लिए दो और संभावित स्थलों–उत्तरप्रदेश में इटावा–मैनपुरी वनभूमि तथा गुजरात में बन्नी चरागाह पर भी विचार किया गया।

इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की 59वीं वार्षिक बैठक, एंकोरेज, अलास्का में 28–31 मई, 2007 को हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बैठक में भाग लिया। भारत ने विश्व में व्हेलों की संख्या बढ़ाने के संबंध में अति सक्रिय भूमिका निभाई।

भारत ने कोएलिशन एगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेफिकिंग (सीडब्ल्यूएटी) में भाग लेकर वन्यजीवों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर कार्य किया। भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों की मंत्री स्तर पर पहली बैठक नैरोबी में 10 फरवरी, 2007 को हुई थी। माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने इस बैठक में भाग लिया। इससे पहले लंदन में 20–21 नवंबर, 2006 को बैठक हुई थी।

1982 में भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की स्थापना की गई। यह संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है जिसे वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधानिक संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस संस्थान को इसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 1999 में राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया था।

केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण

केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (सीजेडए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके प्राणी उद्यानों के कार्यों पर नजर रखने तथा भारतीय प्राणी उद्यानों में जीवों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने तथा सार्वजनिक पार्कों, औद्योगिक परिसरों और सड़कों के किनारे अव्यवस्थित तथा दुर्दशा वाले प्राणी उद्यानों की आ रही बाढ़ को रोकने के लिए की गई थी। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (वन और वन्यजीव) की अध्यक्षता में सितंबर, 2007 में केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को छठी बार पुनर्गठित किया गया। इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव हैं। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण के निर्धारित कार्यों को करने के लिए इस प्राधिकरण में 15 अनुभवी सदस्य होते हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न 39 प्राणी उद्यानों तथा राहत केंद्रों का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 33

प्राणी उद्यानों/राहत केंद्रों को सशर्त मान्यता दी गई। इस अवधि के दौरान 6 लघु प्राणी उद्यानों/राहत केंद्रों की मान्यता रद्द कर दी गई।

61 विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की भारतीय प्राणी उद्यानों में संभावित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए पहचान की गई है। ऐसा करने से पहले प्रमुख वन्यजीव वार्डन और संबंधित राज्यों के प्राणी उद्यान निदेशकों के बीच कई बैठकें की गई थीं। इस प्रयोजन के लिए गुवाहाटी (पूर्वोत्तर की स्थानीय प्रजातियों के लिए), नई दिल्ली (हिमाचल में अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाली प्रजातियों के लिए) तथा ऊंटी (पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजातियों के लिए) में बैठकों का आयोजन किया गया था।

वर्ष के दौरान गिद्धों (जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर), पेंटिड रूफ कछुए (कुकरैल) ब्लिथंस ट्रैगोपन (रंगापहाड़) हयूम्स फीजेंट (आइजॉल) तथा पंगोलिन (भुवनेश्वर) संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए धनराशि जारी की गई।

समन्वित संरक्षण प्रजनन के लिए ली गई सभी संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों की राष्ट्रीय स्टड बुक्स का रखरखाव करने के लिए राष्ट्रीय स्टड बुक सैल की स्थापना के लिए देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा भारतीय प्राणी उद्यानों के बीच जीवों के आदान-प्रदान के लिए जारी ग्यारह प्रस्तावों तथा भारतीय और विदेशी प्राणी उद्यानों के बीच सात प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र) और चेन्नई (शेष भारत के लिए) में एवियन इन्फलुएंजा के नियंत्रण के संबंध में प्राणी उद्यानों में पशु चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में सोन चिड़िया के संरक्षण के संबंध में संबंधित राज्यों के प्रमुख वन्यजीव वार्डन्स और अन्य विशेषज्ञों की एकदिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया गया।

बाघ परियोजना (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण)

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए तथा हमेशा के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया। बाघ अभयारण्य के भीतर अपराध के मामलों में सजा को और कड़ा किया गया। कोई भी वन्यजीव अपराध करने में प्रयुक्त किसी भी उपकरण, वाहन अथवा शस्त्र को जब्त करने की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई है।

सेवानिवृत्त सैनिकों और स्थानीय कार्यबल तैनात करके 17 बाघ अभयारण्यों को शत-प्रतिशत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई। संसद के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी गई। अभयारण्य प्रबंधन में संख्यात्मक मानकों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया।

वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पुलिस, वन, सीमा शुल्क और अन्य प्रवर्तन एंजेंसियों के अधिकारियों से युक्त एक बहुविषयी बाघ तथा अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो), की स्थापना 6.6.2007 को की गई थी।

आठ नए बाघ अभयारण्यों की घोषणा के लिए अनुमोदन स्वीकृत हो गया है।

बाघ संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों को बाघ परियोजना के संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिनमें चल रहे कार्यकलापों के साथ ही बाघ अभयारण्य के मध्य या संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंधित ग्राम *पुनर्पहचान/पुनर्वास* पैकेज (एक लाख रुपये प्रति परिवार से दस लाख रुपये प्रति परिवार) को धन सहायता देने, परंपरागत शिकार और मुख्यधारा में आय अर्जित करने तथा बाघ अभयारण्य से बाहर के वनों में वन्यजीव संबंधी चीता और बाघों के क्षेत्रों में किसी भी छेड़छाड़ को रोकने संबंधी रक्षात्मक रणनीति को अपना कर बाघ कोरीडोर संरक्षण का सहारा लेते हुए समुदायों के *पुनर्वास/पुनर्स्थापन* संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं।

बाघों का अनुमान लगााने के लिये एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। इस नये तरीके से अनुमानतया 93697 कि.मी. क्षेत्र को बाघों के लिये संरक्षित रखा गया है। उस क्षेत्र में बाघों की संख्या अनुमानतया 1411 है, अधिकतम 1657 और नई वैज्ञानिक विधि के अनुसार न्यूनतम 1165 है। इस अनुमान/आकलन के नतीजे भविष्य में बाघों के संरक्षण की रणनीति बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

भारत ने चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी समझौता किया है। इसके अलावा वन्यजीवों के अवैध व्यापार के बारे में सीमापार नियंत्रण और संरक्षण के संबंध में नेपाल के साथ एक समझौता किया है।

बाघ संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बाघ पाए जाने वाले देशों में एक ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया गया है।

हाथी परियोजना

हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने की बाबत फरवरी, 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना को आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्यों को परियोजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। हाथियों की कम संख्या वाले अन्य राज्यों को जनगणना, क्षेत्रीय स्टाफ के प्रशिक्षण एवं मानव-हाथी संघर्ष के लिए भी सहायता प्रदान की गई है।

देश में पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने के लिए हरियाणा को सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पूरे भारत में हाथियों का आकलन किया गया जबकि पूर्वोत्तर में यह मौसमी स्थिति के कारण शीतकाल में किया जाएगा। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि 2002 की तुलना में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तीन हाथी अभयारण्यों, दो छत्तीसगढ़ में लेमरु और बादलखोड नाम से और एक अरुणाचल प्रदेश में देवमाली की स्थापना करने की अनुमति दी गई।

पशु कल्याण

इस मंत्रालय के जीव-जंतु कल्याण प्रभाग को जीव-जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

(1960 का 59) के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। इस अधिनियम के अधीन सांविधिक बाध्यताओं के क्रियान्वयन का कार्य जारी है। दो सांविधिक संगठन अर्थात भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (ए डब्ल्यू बी आई) एवं जीव-जंतुओं पर किये जाने वाले प्रयोगों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के प्रयोजनार्थ गठित किया गया है। जीव-जंतु कल्याण प्रभाग का उद्देश्य जीव-जंतुओं को दिए जाने वाली अनावश्यक पीड़ा का निवारण करना है।

देश में जीव-जंतुओं की देखभाल के लिए कथित जीव-जंतुओं के लिए आश्रय स्थल की स्थापना करने और उसका रख-रखाव करने के लिए जीव-जंतु आश्रय स्थल संबंधी योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। दीवारों, आश्रय स्थलों, वाटर टेंक, नालियों, डिस्पैंसरी के निर्माण, चिकित्सा उपकरण तथा आकस्मिक स्थिति के लिए गैर सरकारी संगठनों तथा सोसाइटी फॉर-प्रीवेंशन आफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स (एसपीसीएएस) को 22.50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवंबर, 2007 तक 13 आश्रय स्थलों का निर्माण हो चुका है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवारा कुत्तों की संख्या के नियंत्रण और टीकाकरण योजना के अंतर्गत नवंबर, 2007 तक एनीमल वैलफेयर आर्गेनाइजेशन (ए डब्ल्यू ओ) पशु कल्याण संगठन को 22 एंबुलेंस दी जा चुकी हैं।

वर्ष के दौरान भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (डब्ल्यू बी आई) 55 नव स्थापित पशु कल्याण संगठनों (ए डब्ल्यू ओ) को मान्यता प्रदान कर चुका है।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंत्रालय विकासात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थाई विकास प्राप्त करने के लिए विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण भी शामिल होता है। वर्ष 1978-79 में नदी धारा परियोजनाओं के साथ शुरू की गई ईआईए प्रक्रिया में अब बढ़कर 39 गतिविधियां हो गई हैं। ईआईए को शासित करने वाले प्रमुख सांविधिक विनियमों में 2006 की ईआईए सूचना तथा कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 1991 है।

वर्ष के दौरान 1994 की ईआईए अधिसूचना के साथ-साथ वर्ष 2006 की ईआईए अधिसूचना का अनुपालन किया गया। वर्ष 2007-2008 (अप्रैल, 2007-दिसंबर, 2007) के दौरान निपटाई गई योजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :

क्र सं.	गतिविधियां	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	उद्योग	371
2.	ताप विद्युत	77
3.	नदी घाटी और जल विद्युत	22
4.	खनन	335
5.	ढांचागत और विविध	107
6.	निर्माण परियोजनाएं	500
	कुल	1412

मंत्रालय ने, एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन जिसमें मैपिंग करना, कोस्टल इकोलॉजिकल संवेदनशील

क्षेत्रों का मानचित्रण करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण शामिल है— इसके कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है।

विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। मॉनीटरिंग रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन के कार्यों में सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पर्यावरणीय परियोजना के क्रियान्वयन से संबद्ध मुद्दों को समझने की दृष्टि से भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई, जयपुर आदि में प्रस्तावकों के साथ विचार विमर्श के लिये बैठकें भी आयोजित की गईं।

प्रदूषण उपशमन

प्रदूषण नियंत्रण

बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक एवं वाहन प्रदूषण के साथ-साथ पर्यावरणीय मानदंडों एवं मानकों की पुष्टि के बिना बहि:स्राव (एफ्लुएंट) छोड़ने के कारण पानी के स्रोतों के प्रदूषण के वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सरोकार सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है। वायु, जल, मृदा आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय माध्यमों में प्रदूषण के इस रुझान को देखते हुए मंत्रालय ने प्रदूषण उपशमन की नीति अपनाई, जिसमें प्रदूषण की रोकथाम एवं उपशमन के सभी विनियम, कानून, समझौते वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों के रूप में बहु-उद्देशीय रणनीतियों का प्रावधान है। प्रदूषण नियंत्रण के सभी विभिन्न उपायों एवं नीतियों का विनिमय, पर्यावरणीय मानकों का विकास, वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण, स्थलीय पर्यावरण आयोजना आदि शामिल हैं।

मॉनीटर किये गये परिवेश की वायु गुणवत्ता द्वारा पता चलता है कि सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड की मात्रा अधिसूचित मानदंडों के भीतर है। तथापि, कई अवसरों पर, मौसम-विज्ञानी पारिस्थितिकी के कारण निलंबित विविक्त पदार्थ सस्पेंडिड पार्टीकुलेट मैटर (एसपीएम) का मान निर्धारित मानदंडों को पार कर रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता नामक योजना के तहत विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों, पर्यावरण विभागों, केंद्र/राज्य अनुसंधान संस्थाओं तथा अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों को 24.5 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले 24.98 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की गई, ताकि नीति वक्तव्य के उद्देश्यों को पूरा करने, उनकी तकनीकी सक्षमता सुदृढ़ होने, पूर्वोत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं समितियों को सहायता दी जाए और वे प्रदूषण को कम करने वाली परियोजनाओं को लागू करें।

वायु की गुणवत्ता पर विभिन्न स्रोतों के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए, 6 शहरों नामत: दिल्ली, बंगलुरु, चैन्नई, मुंबई, पुणे और कानपुर के लिए स्रोत संविभाजन अध्ययन (एसएएस) शुरू किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई, भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान संघ, पुणे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर जैसी संस्थाओं को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण एवं अध्ययन के दौरान मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन के लिए सचिव महोदय (ई एंड एफ) की अध्यक्षता में राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति गठित की गई है। डाटा संग्रहण, उपयुक्त डाटा मॉडल के प्रयोग आदि के दौरान तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक

तकनीकी समिति भी गठित की गई है तथा विभिन्न तकनीकी संस्थाओं एवं संगठनों के सदस्य इसके सदस्य हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान, निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगों के संबंध में मानक तैयार किए गए हैं तथा अधिसूचना के लिए उनको अंतिम रूप दिया गया है :

- पैट्रोलियम तेल शोधन;
- सल्फ्यूरिक एसिड संयत्र;
- सामान्य घातक अपशिष्ट इनसीनरेटर;
- स्पंज आयरन प्लांट; और
- कॉफी उद्योग

मई, 2002 में 1000 केवीए तक के डीजल जेनरेटर सेटों के लिए ध्वनि सीमा अधिसूचित की गई तथा 01 जनवरी, 2005 से इसे लागू किया गया। मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के तहत डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के किए ध्वनि सीमा पर उक्त अधिसूचना में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित करने हेतु नवंबर, 2007 में मसौदा अधिसूचना जारी की है ताकि डीजी सेट के संयोजनकर्ताओं को शामिल करके विनिर्माता को परिभाषित किया जा सके और उत्सर्जन और ध्वनि मानदंडों को शामिल किए बिना 250 केवीए से ऊपर के डीजी सेटों के परिवहन को शामिल किया जा सके।

दिनांक 31.12.2007 तक तमिलनाडु के लिए पारिस्थितिकी क्षति (रोकथाम और क्षतिपूर्ति भुगतान) प्राधिकरण का कार्यकाल 28 दिसंबर, 2008 तक बढ़ाया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान, (फरवरी, 2008 तक) केंद्र सरकार द्वारा ई(पी)ए, 1986 के तहत 11 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई।

41 औद्योगिक सेक्टरों में कुल 118 अपशिष्ट न्यूनकोण मंडल (वेस्ट मिनिमाइज़ेशन सर्किल) (डब्ल्यूएमसी) स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 600 लघु और मध्यम उद्योगों को लाभ पहुंचा है। इस प्रक्रिया में 39 डब्ल्यूएमसी संगठनों ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के मार्गदर्शन में डब्ल्यूएमसी स्थापित करने की पहल की है। डब्ल्यूएमसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस गतिविधि का अभिन्न अंग है, जिसके लिए योजना के तहत भारत सरकार की ओर से धन उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यक गणना संबंधी सहायता प्रदान करके प्रतिभागी संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में एनपीसी की सहायता करते हैं। वर्ष के दौरान, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा 167.33 करोड़ रुपए की राशि संग्रहित की गई तथा केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न एसपीसीबी और पीसीसी को 76.52 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

देश में एयरक्राफ्ट/एयरपोर्ट से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिये उचित कानून बनाने के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है। इसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट के कारण एयरपोर्ट के आसपास ध्वनि के स्तर की मॉनीटरिंग करना एवं प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घातक अपशिष्ट के प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेजों की तैयारी और यथासंशोधित घातक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली, 1989 की अनुसूची 3 (रिप्रोसेसिंग के लिए आयात एवं निर्यात हेतु लागू अपशिष्ट सूची), अनुसूची 4 (अपशिष्ट की सूची, जिसके रिपोसिलिंग के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण की जरूरत होती है) और अनुसूची 8 (घातक अपशिष्टों के आयात एवं निर्यात के लिए निषिद्ध माल सूची) के संशोधन में मंत्रालय के साथ समन्वय किया। घातक अपशिष्ट के प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेजों का अंतिम प्रारूप तथा

घातक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली की अनुसूची 3, अनुसूची 4 और अनुसूची 8 को विचार-विमर्श के लिये भेजा जा चुका है।

विभिन्न अस्पतालों, नर्सिंगहोमों में उत्पन्न जैव-चिकित्सा (बायोमेडिकल) अपशिष्ट के शोधन के लिए विभिन्न शहरों में सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन शालाएं स्थापित की गई है। उत्तरांचल में 28 सीबीडब्ल्यूटीएफ शालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें से 8 सामान्य शालाओं का निरीक्षण किया गया। मध्यांचल में 18 सीओडब्ल्यूटीएफ स्थापित की गई है, जिनमें से 16 का निरीक्षण किया गया। दक्षिणाचंल में 10 सीबीडब्ल्यूटीएफ सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। पश्चिमांचल में 31 सीबीडब्ल्यूटीएफ स्थापित की गई है, जिनमें से 9 का निरीक्षण किया गया।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत 27 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 1019 जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जाती है। सीपीसीबी द्वारा संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सहयोग से यह प्रचालित किया जा रहा है। मॉनीटरिंग नेटवर्क के तहत 200 नदियों पर स्थित 592 मॉनीटरिंग केंद्र, 60 झीलों पर स्थित 65 मॉनीटरिंग केंद्र, पांच टेंकों पर स्थित 5 मॉनीटरिंग केंद्र, तीन तालाबों पर स्थित तीन मॉनीटरिंग केंद्र, 13 नहरों पर स्थित 13 केंद्र, 17 नालों पर स्थित 17 केंद्र और 321 कुओं पर स्थित 321 केंद्र शामिल हैं। सतह जल में मासिक अथवा तिमाही आधार पर और भूजल के मामले में छह महीने में मॉनीटरिंग की जाती है।

वायु की गुणवत्ता के लिए देशभर में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 121 शहरों/नगरों में 332 केंद्रों पर चल रहे जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम पर निगरानी की जा रही है।

सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, एसपीएम और आरएसपीएम के लिए 90वें शतमक और 10वें शतमक के साथ राष्ट्रीय मध्य संकेंद्रण के विश्लेषण से पता चला है कि सल्फर डाई आक्साइड का राष्ट्रीय माध्य संकेंद्रण पिछले वर्षों में घटा है, जो इस बात का संकेत देता है कि सल्फर डाई आक्साइड के स्तर में गिरावट आई है। नाइट्रोजन आक्साइड और आरएसपीएम संकेंद्रण वाहन जैसे उत्सर्जन स्रोतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद पिछले वर्षों से स्थिर रहा है। दूसरा कारण अपनाए गए विभिन्न उपाय हो सकते हैं, जिससे वाहन प्रौद्योगिकी में इस तरह के सुधार हुए हैं और इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन आदि जैसे उपायों का भी इसमें योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एसपीएम संकेंद्रण पिछले वर्षो में घटता बढ़ता रहा है।

घातक पदार्थों का प्रबंधन

घातक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख कार्यों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत घातक अपशिष्टों/रसायनों, प्लास्टिक और नगर पलिका द्वारा फेंके गये ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन से संबंधित आवश्यक नियम बनाने के लिए नियामक गतिविधियां और इनके क्रियान्वयन हेतु संबंधित एजेंसियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके संवर्धनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। यह प्रभाग घातक अपशिष्ट सहित रासायनिक आपात स्थितियों और घातक पदार्थों के प्रबंधन पर नीतियों एवं कार्यक्रमों की आयोजना, निगरानी एवं क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का अधिदेश घातक रसायनों एवं अपशिष्टों के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की क्षति की रोकथाम एवं उपशमन के लिए घातक रसायन एवं घातक अपशिष्ट सहित घातक पदार्थों के प्रबंधन एवं प्रयोग में सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

आम जनता की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए 28 सितंबर, 2008 को घातक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली की नई प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई है। प्रस्तावित नियमावली शीर्षक से घातक सामग्री (प्रबंधन, संचालन एवं सीमापारीय आवाजाही) नियमावली, 2007 है। उक्त प्रारूप नियमावली पर आपत्ति/सुझाव देने का समय 28 नवंबर, 2007 को समाप्त हो गया। प्रस्तावित प्रारूप नियमावली, 1989 को संशोधित किया जा चुका है। विभिन्न संगठनों से प्रारूप अधिसूचना पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं तथा उनकी जांच की जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, एसोसिएटिन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और राज्य सरकारों के संगठनों को दुर्घटना को रोकने के उपायों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रसायनों और घातक पदार्थों से होने वाले कुप्रभाव को रोकने और निपटाने के प्रभावी उपाय करना।

एक लाल पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें आपातस्थिति के दौरान किए जाने वाले कार्यों, मंत्रालय, राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, मुख्य कारखाना निरीक्षणालयों, विशेषज्ञों/संस्थानों के मुख्य कर्मियों का नाम, पता, टेलीफोन नंबर होते हैं।

वैश्विक पर्यावरण कोष (जीईएफ) ने ऑर्गेनिक प्रदूषकों (पीओसी) पर स्टाकहोम सम्मेलन की भारत की राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना तैयार करने के लिए अनुदान स्वीकृत किया।

भारत से एक अंतर-मंत्रालय शिष्टमंडल ने डकार, सेनेगल में 25 से 27 अप्रैल, 2007 और 30 अप्रैल-04 मई, 2007 तक आयोजित गैर अनुपालन संबंधी तदर्थ कार्य समूह और कार्बनिक प्रदूषकों पर हुए सम्मेलन में भाग लिया।

वर्ष के दौरान 2000 और 2003 में यथा संशोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली, 1998 के कारगर क्रियान्वयन के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं गुजरात, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में क्रमशः मैसर्स सेफ्टी एक्शन ग्रुप (बडोदरा), एडवांस्ड मैनेजमेंट इंस्टीटयूट (दिल्ली) और मैसर्स सीपीआर एनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर (चैन्नई) द्वारा आयोजित की गई।

जल पिंडों का संरक्षण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)

मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय राज्य सरकारों को सहायता देकर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएससीपी) एवं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत नदी एवं झील कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा है।

एनआरसीडी का उद्देश्य निर्दिष्ट सर्वोत्म प्रयोग के स्तर तक प्रदूषण को रोकने के उपायों के क्रियान्वयन के माध्यम से नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना है, जो देश में पानी के प्रमुख स्रोत हैं। अब तक कार्यक्रम के तहत 35 नदियों को शामिल किया गया है।

एनआरसीडी के अंतर्गत किए गए प्रमुख कार्यों में शामिल है : खुले नालों के माध्यम से नदी में बह रहे कच्चे सीवेज को रोकने तथा उनके शोधन के लिए अवरोध एवं विपथन कार्य, विपथित सीवेज के शोधन के सभी सीवेज शोधन संयत्रों की स्थापना, कम लागत से स्वच्छता शौचालयों का निर्माण, लकड़ी का प्रयोग रोकने के लिए विद्युत शवदाह गृहों एवं परिष्कृत काष्ठ शवदाह गृहों का निर्माण, नदी मुहाना विकास, नदी के तटों पर पेड़ लगाना, सार्वजनिक भागीदारी एवं जागरुकता आदि।

663 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से गंगा कार्य योजना चरण II (फिलहाल राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का अंग) के तहत 59 कस्बों में कार्य चल रहा है।

यमुना कार्य योजना चरण II जो एनआरसीडी का अंग है, के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) से 13.33 बिलियन येन की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

गोमती कार्य योजना चरण I के तहत 31 स्वीकृत योजनाओं में से 26 योजनाएं पूरी हो गई हैं। इस योजना के तहत कुल 42 एमएलडी एसटीपी की क्षमता अब तक सृजित की जा चुकी है।

गोमती कार्य योजना चरण–I और चरण II के तहत शामिल गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के अलावा, एनआरसीडी ने 14 अन्य राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को हाथ में लिया है, जिसके तहत 30 नदियां और 68 कस्बे शामिल हैं।

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (हरिद्वार), सीपीसीबी आधारित कार्यालय, लखनऊ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, पटना विश्वविद्यालय और बिधान चन्द्र कृषिविश्वविद्यालय, कल्याणी जैसी संस्थाओं के माध्यम से उत्तराखंड में ऋषिकेश से पश्चिम बंगाल में उलूबेरिया तक 27 स्थानों पर गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। गंगा कार्य योजना के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के फलस्वरूप नदी के तहों के किनारे जनसंख्या में भारी वृद्धि के बावजूद गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आमतौर पर सुधार हुआ है।

यमुना, पश्चिमी यमुना नहर, गोमती, हिण्डन, सतलुज (पंजाब), कावेरी (तमिलनाडु), कर्नाटक में तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा के जलमार्गों की भी जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग की गई है। इस समय मॉनीटरिंग केंद्रों की संख्या 10 नदियों पर 158 हैं, जिसमें गंगा पर स्थापित 27 केंद्र और चैन्नई जलमार्गों के 32 केंद्र शामिल हैं।

632.62 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से 13 राज्यों में 49 झीलों के संरक्षण की कुल 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। अब तक 11 झीलों का संरक्षण कार्य पूरा हो गया है, जबकि कुछ मामलों में परियोजना क्रियान्वयन का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है (फरवरी, 2002 से) एनएलसीपी के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों 70:30 के अनुपात से खर्च वहन करेंगी।

28 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2007 तक जयपुर, राजस्थान में मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झील पर्यावरण समिति (आईएलईसी) फांउडेशन के तत्वधान में 12वें विश्व झील सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार 24 बड़े कार्यक्रम के लिए सह–आयोजक थी। सम्मेलन का मुख्य विषय भविष्य के लिए झीलों एवं जल–भूमि का संरक्षण था। अन्य मुख्य उद्देश्यों में विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई विभिन्न पारिस्थितियों में जीर्णोद्धार के लिए झीलों एवं जल–भूमियों से संबंधित मुद्दों की पहचान शामिल हैं।

राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में 29 अक्टूबर, 2007 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन की विषय–वस्तु से संबंधित अपने अध्ययनों पर मौखिक अथवा पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुतियों के साथ विश्व के विभिन्न भागों से लगभग 150 विदेशी शिष्टमंडलों सहित तकरीबन 600 शिष्टमंडलों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन समापन सत्र में जयपुर डिकलेरेशन अपनाया गया।

राष्ट्रीय दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम

देश में दलदली भूमि (वेटलैंड) के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने, गहन संरक्षण उपायों के लिए प्राथमिकता वाली जल-भूमियों के संरक्षण, अनुसंधान एवं अनुसंधान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करने और भारत में दलदली भूमि की सूची तैयार करने के लिए 1987 में जल-भूमि संरक्षण और प्रबंधन की योजना शुरू की गई।

जल-भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत दलदली भूमि की संख्या 2004 के 27 से बढ़कर 2005 में 71 और फिर जनवरी, 2008 में 103 हो गई।

02 फरवरी, 2007 को 'राष्ट्रीय जल-भूमि संरक्षण : दृष्टिकोण एवं दिशा-निर्देश' नाम से पुस्तिका जारी की गई, जो अब प्रकाशित हो चुकी है तथा सभी प्रयोक्त एजेंसियों को भेजी जा चुकी है।

36 जल-भूमियों की प्रबंध कार्य योजनाएं अनुमोदित हो गई हैं तथा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। नई अभिचिह्नित दलदली भूमियों के लिए 10 और प्रबंधन कार्य योजनाएं के मामलों को उठाया जा रहा है।

दलदली भूमियों के मूल्यों एवं कार्यों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 12 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

वेटलैंड इंटरनेशनल के निदेशक मंडल ने भारत को मनोनित किया है तथा भारत के अनुरोध पर वेटलैंड इंटरनेशनल के निदेशक मंडल की बैठक 19-20 अक्टूबर, 2005 को मानेसर, नई दिल्ली में हुई, इसमें तकरीबन 23 देशों ने भाग लिया। भारत ने एक सत्र की अध्यक्षता की तथा सभी प्रतिभागी देशों ने जल-भूमि संरक्षण में भारत के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पुनरुत्पादक और पारिस्थितिकी विकास

राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

देश में वानिकीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त, 1992 में राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एनएईबी) का गठन किया गया। विकसित वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्र की समीपवर्ती भूमियों, राष्ट्रीय पार्कों अभयारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली की पहाड़ियों, पश्चिमी घाट आदि जैसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के पुनरुजीवन पर भी एनएईबी द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कुल 12.13 लाख हेक्टर क्षेत्रफल के शोधन के लिए 1920.69 करोड़ रुपए की लागत से 2000-01 के बाद से 743 एफडीए को मूर्त रूप दिया गया है (19.11.2007 की स्थिति के अनुसार) राष्ट्रीय वनिकीकरण कार्यक्रम के तहत बांस, औषधीय पौधा लगाने तथा वायोफ्यूल पर 10वीं योजनावधि के दौरान पर्याप्त बल दिया गया। कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि के पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया है, और अब तक पूर्वोत्तर राज्यों एवं उड़ीसा में 25 झूम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के क्रियान्वयन हेतु 2007-08 के दौरान एफडीए के लिए 193.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई (19.11.2007 की स्थिति के अनुसार)।

58 क्रियान्वयन एजेंसियों को वर्ष 2007-08 (27.11.2007 तक) के दौरान 2.58 करोड़ रुपए

की वित्तीय सहायता जारी की गई, जिसमें से 56 वृक्षारोपण की स्वैच्छिक एजेंसियां और दो राज्य वन विभाग के अंतर्गत हाइटेक नर्सरी की स्थापना के लिए हैं।

पारिस्थितिकी विकास बल (ईडीएफ) योजना के तहत चार पारिस्थितिकी कार्यबल बटालियनों को सहायता दी जा रही है। ये बटालियनें पिथौरागढ़, सांबा, बीकानेर और देहरादून में स्थित हैं। असम में दो नई बटालियनें अनुमोदित की गई हैं।

सभी इटीएफ बटालियनों ने नर्सरी लगाने, वृक्षारोपण तथा वृक्षारोपण क्षेत्र के संरक्षण के लिए संरक्षण उपाय जैसे कार्यों को संपन्न किया है। उन्होंने अन्य मृदा तत्व नमी संरक्षण कार्य के अलावा पत्थरों से बांध का निर्माण भी किया है। इसके अतिरिक्त, बटालियनों ने पुराने वृक्षारोपण कार्य की देखरेख भी की।

मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए यूएन कंवेंशन (यूएनसीसीडी) की तहत मरूस्थलीकरण के संस्तरों को अंतिम रूप देने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई। 1.500.000 स्कैल पर भारतीय दूरस्थ संवेदी (आईआरएस) एडब्ल्यूआईएफएस प्रतिबिंबों का प्रयोग करके पूरे देश के लिए डी ग्रेडेशन स्टेटस मैप (डीएसएम) तैयार किया गया है। भूमि विकृति रोकने तथा पलटने के लिए गतिविधियों की योजना बनाने तथा समय-समय पर मॉनीटरिंग में भी यह मानचित्र उपयोगी है।

भारत ने यूएनसीसीडी की कंवेंशन के निर्णयों को लागू करने के लिये बनी समिति की 5वीं बैठक में भाग लिया और यह बैठक 12 से 21 मार्च, 2007 तक ब्यूनोस एयरर्स, अर्जेंटीना में आयोजित की गई।

भारत ने 3-14 सितंबर, 2007 तक मैड्रिड, स्पैन में यूएनसीसीडी सम्मेलन (सीओबी) की 8वीं बैठक में भाग लिया। सीओपी ने 10 वर्षीय रणनीति योजना को (यूएनसीसीडी 2008-18) अनुमोदित किया। नई योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, क्रियान्वयन पुनर्रीक्षा समिति और वैश्विक तंत्र का प्राथमिकताओं एवं सूचना प्रक्रियाओं की दृष्टि से पुनर्गठन करती है।

भारत ने 26 से 28 नवंबर, 2007 तक जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थाई विकास आयोग के लिए एशियन प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय क्रियान्वयन बैठक में भाग लिया। बैठक में उठाये गये मुद्दों तथा उनकी चुनौतियों की दिशा में हुई प्रगति से संबंधित एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए भी रणनीति पर चर्चा हुई।

अनुसंधान

पर्यावरण अनुसंधान

मंत्रालय ने अपने अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यक्रम के तहत अभिचिह्वित क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्च अध्ययन संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों में पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन के विभिन्न बहु-विषयक पहलुओं में अनुसंधान जारी रखा। पर्यावरण में अनुसंधान को सहायता देने की यह 1985 से केंद्रीय योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए रणनीतियां, प्रौद्योगिकी तथा विधियां विकसित करने के वास्ते अपेक्षित सूचना सृजित करना है। इसका लक्ष्य संसाधन प्रबंधन, प्राकशित संसाधनों के संरक्षण और विकसित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनरूजीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान ढूंढना भी है। इसके अलावा, योजना का लक्ष्य अनुसंधान एवं वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाना है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय ने अभिचिह्वित क्षेत्रों में प्राथमिक क्रम तथा विस्तृत अनुसंधान विषयों का

स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुसंधान की सहायता के लिए नए दिशा-निर्देश निकाले। वर्ष के दौरान मंत्रालय के विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों का विलय करके 6 विषय परक विशेष समूहों का गठन किया गया है।

विषय परक समूह प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के तहत तीन योजनाएं शामिल है : (i) पर्यावरण अनुसंधान, (ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण और (iii) जलवायु परिवर्तन/स्वच्छ प्रौद्योगिकी। वर्ष के दौरान नए/संशोधित प्रस्तावों पर विचार करने तथा चल रही/पूरी की गई परियोजनाओं की पुनर्रीक्षा/मॉनीटरिंग करने के लिए विषय परक समूह की 4 बैठकें हुईं। विशेषज्ञ समूह द्वारा 69 नई परियोजनाओं पर विचार किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान 28 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं (अनुबंध- III)। वर्ष के दौरान 46 चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेषज्ञ समूह ने वर्ष के दौरान पूरी की गई 17 परियोजनाओं के एफटीआर की भी समीक्षा की।

वर्ष के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान योजना के तहत 5 नई परियोजनाएं शुरू की गईं, 14 अध्ययन पूरे किए गए तथा 33 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा निगरानी की गई।

वर्ष के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान योजना के तहत 6 नई परियोजनाएं शुरू की गईं तथा 4 अध्ययन पूरे किए गए।

वर्ष के दौरान थेमेटिक समूहों का गठन किया गया। यद्यपि इस विषय परक दल के तहत कोई विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रम शामिल नहीं होगा, परंतु यह दल लागत-लक्ष्य विश्लेषण, सामाजिक-आर्थिक मसलों तथा अन्य विविध मुद्दों के संबंध में सभी प्रस्तावों पर विचार करेगा। नए/संशोधित प्रस्तावों पर विचार करने तथा चल रही/पूरी की गई परियोजनाओं की समीक्षा/मॉनीटरिंग के लिए समूह की एक बैठक आयोजित की गई। विशेषज्ञ समूह द्वारा 4 नई तथा 1 संशोधित परियोजना पर विचार किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान एक नई परियोजना स्वीकृत की गई और पहले से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा तथा निगरानी की गई। विशेषज्ञ समूह ने पूरी की गई परियोजनाओं के एक एफटीआर की समीक्षा की।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस)

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली योजना के तहत भूमि, पानी, वन खनिज, समुद्र आदि जैसे संसाधनों की सटीक सूची के लिए तथा पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए इस सूचना का उपयोग करने के उद्देश्य से दूर-संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है। सचिव (ईएंडएफ) की अध्ययक्षता में योजना आयोग द्वारा जैव संसाधन और पर्यावरण पर एक स्थाई समिति गठित की गई है। योजना आयोग द्वारा गठित यह समिति देश में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम प्रयोग एवं प्रबंधन के लिए दूर-संवेदी प्रौद्योगिकी के प्रयोग की विधियों पर सलाह देती है।

इस समिति ने तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से एनएचआरएमएस एससीबी के तहत विधियन के लिए प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की संवीक्षा/समीक्षा के लिए एक तकनीकी एवं वित्तीय उप समिति द्वारा प्रस्तावों को ही एनएनआर एमसी एससीसी द्वारा वित्तीय सहायता के लिए चुना जाता है। समिति स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी एवं मॉनीटरिंग भी करती है।

समीक्षा के बाद बर्फ एवं ग्लेशियर, वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्क के नक्शे, वनों के नक्शे और तटीय कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के अध्ययन पर राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

10वीं योजना के दौरान वानिकी एवं वन्यजीव, वेटलैंड दलदली भूमि, मरुस्थलीकरण, विकास गतिविधियों पर पर्यावरणीय प्रभाव, भूस्खलन और वन आग आदि के क्षेत्र में एससीबी द्वारा तकरीबन 30 परियोजनाएं अनुमोदित की गई तथा वे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जी बी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, कोसीकटरामल, अल्मोड़ा

मंत्रालय द्वारा अगस्त,1988 में भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थाई विकास और पर्यावरण संरक्षण के आदेश के बाद स्वायत्त संगठन के रूप में जी बी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान (जेबीपीआईएचईडी) की स्थापना की गई। कोसीकटरमल, अल्मोड़ा (उत्तराखंड) में स्थित अपने मुख्यालय तथा कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर), पंगथांग (सिक्किम) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में स्थित चार क्षेत्रीय यूनिटों के माध्यम से संस्थान अपना कार्य निष्पादित करता है। संस्थान की प्राथमिकता बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां क्रियान्वित करता है, सर्वोत्तम तकनीक विकसित एवं प्रदर्शित करता है और इस क्षेत्र के निवासियों की जीविका में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज प्रदान करता है।

फास्फेट विलेयता गतिविधि के लिए भारतीय हिमालय क्षेत्र से एकत्रित मिटटी से पृथक किए गए पेंसिलियम की 21 प्रजातियों पर मौसम विज्ञानी अध्ययनों से पता चला कि उद्‌भवन के 15 दिन बाद पेंसिलियम की 7 प्रजातियों ने अधिकतम विलेयता दिखाई। मूटिया समुदाय द्वारा प्रयुक्त किणिवत आहार (गेहूं आधारित स्टार्टर कल्चर, बालम) में सूक्ष्मजीवों के पृथक्करण के 32 माइक्रोबायल आइसोलेट दर्ज किया। हालांकि स्पोट फार्मिंग बैक्टीरिया प्रजातियां जेनुस बैसिलस से संबंधित थी, यीस्ट ओसालेटस की पहचान सकरोमाइकोपसिस फाइबुलिगेटा, क्यूवेरामाइसिस मैक्सिआनुस और सैकरामाइसिस एसपीपी के रूप में की गई।

पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के भीतर प्रौद्योगिक संस्थानीकरण, बैकस्टापिंग और क्षमता संवर्धन नामक कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से 7 साझेदारी गैर सरकारी संगठनों ने प्रासंगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क स्थापित किया।

कोलीधाक गांव (चंपावत जिला, उत्तराखंड) में ग्राम समाज की क्षरित भूमि (3 हेक्टर) के जीर्णोद्धार, सिल्वी-पाश्चर विकास के लिए गांव की बंजर भूमि (तकरीबन 40 हेक्टर) पर चारा उगाने वाले वृक्षों के रोपण (15 प्रजातियों के 10000 से अधिक पौधे) और भीमताल झील क्षेत्र जीर्णोद्धार (नैनीताल जिला) पर सहयोगात्मक कार्यक्रम के माध्यम से विकसित बंजर भूमि के जीर्णोद्धार का क्रियान्वयन किया गया।

दलदली भूमि, कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों पर अनुसंधान

दलदली भूमि

राष्ट्रीय महत्व के और वेटलैंड की पहचान करने तथा अनुसंधान के संकेंद्रित क्षेत्रों पर गहन संरक्षण हेतु प्रबंधन कार्य योजना को संपूरित करने के लिए वेटलैंड पर एक अनुसंधान उप समिति गठित की गई है।

वैटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेटलैड संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर चल रही 19 परियोजनाएं प्रचालन के अधीन हैं, जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष के दौरान तीन परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

कच्छ वनस्पतियां और प्रवाल-भित्तियां

एक से अधिक कारणों से सुंदरवन के अनूठेपन एवं महत्व के मद्देनजर उस पर लक्षित अनुसंधान एवं विकास के लिए अलग समर्पित अनुसंधान की आवश्यकता के आधार पर मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सुंदरवन के लिए अलग से अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाए। यद्यपि परिचालित संस्थान के केंद्र में सुंदरवन होगा, यह समूचे देश की तटीय एवं समुद्री जैव विविधता के संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकता है, और क्षेत्र की क्षमता निर्माण एवं शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पूरा कर सकता है।

मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित संस्थान का नाम 'राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति और तटीय जैव विविधता अनुसंधान संस्थान' होगा, जो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में स्थित होगा।

प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण एवं स्थाई उपयोग पर विशेषज्ञ समूह बी द्वारा कच्छ वनस्पति एवं प्रवाल-भित्ति के क्षेत्र में विस्तृत चार अनुसंधान परियोजनाएं मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान स्वीकृत की जा रही हैं।

जैव मंडलीय रिजर्व पर अनुसंधान

जैवमंडलीय रिजर्व के नामोदिष्ट रिजर्वों और संभावित स्थलों में भी अनुसंधान एवं विज्ञान परियोजनाओं को सहायता दी जाती है। यद्यपि वर्ष के दौरान अनेक अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, काफी संख्या में परियोजनाएं पूरी भी की गई हैं, जिन्होंने इन बायोस्फीयर रिजर्वों के वैज्ञानिक प्रबंधन में उपयोगी मूलभूत आंकड़े उपलब्ध कराया।

वानिकी अनुसंधान

वानिकी के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की उपयुक्त योजना, समन्वय, निष्पादन और संवर्धन के माध्यम से समग्र वानिकी अनुसंधान रणनीति विकसित करने के लिए बनाई गई भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआई) राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में सर्वोच्य संस्था है। देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी अंचलों अर्थात् देहरादून, शिमला, रांची, जोरहट, जबलपुर, जोधपुर, बंगलुरु और कोयंबटूर में स्थित 8 अनुसंधान संस्थानों और इलाहाबाद, छिंदवाड़ा, हैदराबाद एवं आईजोल में स्थित चार केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है।

लेप्टोसोइवे इनवासा नामक कीट से उत्पन्न यूकेलिप्टस में सूंडी की समस्या पहली बार भारत में दर्ज की गई तथा कीट नियंत्रण के लिए रणनीति एवं विस्तार योजना तैयार की गई।

परिषद को आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

सौर तापित भट्ठे तैयार किए तथा हवा में शुष्कन प्रक्रिया की तुलना में अधिक त्वरित सीजनिंग की दृष्टि से मानकीकृत किया गया, तथा सौर ताप द्वारा वाष्प तापित भट्ठों में सुखाने के लिए ताप ऊर्जा अपेक्षा का विकल्प तैयार करने के लिए मानक तैयार किए, लगभग 200 वाणिज्यिक इकाइयां अभी तक लगाई जा चुकी हैं।

वन अनुसंधान संस्थान ने लिग्नों सेल्युलॉसिक सामग्री का इस्तेमाल करके प्लाईवुड अनुसंधान पर कार्य के जरिए पैनल उत्पादों की व्यापक रेंज तैयार की।

पॉपलर, यूकेलिप्टस, लेन्टाना, पार्थेनियम आदि से अनुकूल आकर्षक स्तर की रंगछायाएं तैयार की।

एक वर्ष में 1 से 64 प्लांटलेट्स से बहुलता के लिए बांस प्रचार प्रसार मैक्रो प्रॉलिफिऐशन तकनीक विकसित की।

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) ने वहन योग्य, सुरक्षित तथा टिकाऊ आश्रय/वास सुविधा के सृजन की व्यवहार्यता दर्शाई है जिनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के साथ बांस का इस्तेमाल किया गया है। आवास प्रणाली की यह टाइप भूकंप तथा अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आदर्श हो सकती है।

आईपीआईआरटीआई ने टेनिन विस्तृत फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेसिन विरचन तैयार किया है ताकि नमी अंश की परत को बांधा जा सके। खुले असेंबली टाईम, प्रैस तापमान तथा संहित प्रक्रिया जैसे प्लाईवुड की प्रैसिंग के प्रक्रियागत पैरामीटर तैयार किए जा सके।

हालांकि भारतीयवन प्रबंधन संस्थान (आई आई एफ एम), भोपाल ने 14 अनुसंधान परियोजनाएं तथा आठ परामर्श देने संबंधी कार्य पूरे किए, लेकिन इस वर्ष 21 अनुसंधान परियोजनाएं चलती रहीं।

छत्तीसगढ़ राज्य में चीतों के पुनर्वास के संबंध में आईआईएफएम द्वारा आयोजित अध्ययन से पता चला कि विशेषकर रेशम कीट उत्पादन, फूल–उत्पादन, बांस के रोपण तथा विपणन, उत्पादन, कृषि वानिकी तथा नर्सरी प्रबंधन जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से आय अर्जनकारी कार्य सर्वाधिक प्रभावी तथा चीतों के पुनर्वास में कामयाब रहे।

वन्यजीव अनुसंधानह्य

मानव उत्प्रेरित बदलावों में वृद्धि से आज वन्य जीव संसाधनों के परीक्षण के प्रति नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। मात्रा तथा गुणवत्ता की दृष्टि से वन में रहने वाले (Harboring) जीवों में ह्रास हो रहा है, इससे खास तौर पर विशालकाय/खतरे से जूझ रही प्रजातियों, के बने रहने/उत्तर जीविका को खतरा बढ़ रहा है। इनमें हाथी, बाघ, गेंडा (राइनों) आदि प्रमुख हैं। वास क्षेत्र के संकुचन तथा बढ़ती आबादी के कारण अवैध शिकार, रोग, आबादी–संरचना (स्त्री पुरुष अनुपात) तथा सूखा, आगजनी एवं बाढ़ जैसी दुखद घटनाएं इसका कारक बनते जा रहे हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा थे और इनसे प्रबंधन में कठिनाइयां आती थीं। इस स्थिति से देश के वन्य जीव के प्रबंधन में विशेष तौर पर प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के समक्ष असंख्य चुनौतियां आ रही हैं।

भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने अभी तक देश के विभिन्न जैव–भौगोलिक क्षेत्र में आरंभ की गई 128 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं। इस समय, इस संस्थान में 55 परियोजनाएं चल रही हैं।

शिक्षा और जागरूकता

पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण

निरंतर हो रहे जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की त्वरित गति, ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों तथा तेजी से हो रही वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण पहले से ही पर्यावरण को काफी

क्षति पहुंच चुकी है। इस समसया का तब तक समाधान नहीं हो सकता, जब तक सामूहिक विचारणा, इच्छा शक्ति तथा प्रयास मौजूद नहीं है। इसके लिए, अभिवृत्तिमूलक बदलाव और अंततः पर्यावरण को और अधिक पहुंचने वाली क्षति पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता और प्रतिभागिता आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रबंधन और परीक्षण कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन शिक्षा, जागरूकता तथा संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तरीके तथा ऐसा करने की आवश्यकता को समझे बिना, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत कम लोगों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार से, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता का अत्यंत महत्व है। 'पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण' मनुष्यों और पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में सभी स्तरों पर लोगों की समझ बूझ बढ़ाने तथा पर्यावरण में सुधार और संरक्षण की क्षमताओं/कौशलों के विकास के लिए मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम है।

वर्ष के दौरान (31.12.07 तक) 83372 पारिस्थितिकीय-क्लब देश भर में खोले गए। एन जी सी कार्यक्रम राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, 9938 संगठन, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान से जुड़ गए और क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियों के माध्यम से स्कीम के अंतर्गत इनसे वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस अभियान में संपूर्ण देश के गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला और युवा संगठनों, सेवा एककों, सरकारी विभागों आदि कार्योन्मुख कार्यकलापों द्वारा अपनाए गए कार्यों के माध्यम से लोगों को संगठित करने और जागरूकता पैदा की जा रही है।

व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन सर्वश्रेष्ठ भूमि (बैस्ट ऑफ भूमि) सहित भूमि के 22 एपीसोड का प्रसारण दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर पर्यावरण संबंधी दूरदर्शन पत्रिका के रूप मे किया गया।

वातावरण 2007 चौथा पर्यावरण और वन्य जीव फिल्म महोत्सव दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2007 तक इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 18 दूसरे देशों से 54 प्रविष्टियां सहित कुल 275 प्रविष्टियां आईं। 18 विभिन्न श्रेणियों (भारतीयों के लिए 12 और अंतर्राष्ट्रीय के लिए 6) के लिए 31 पुरस्कार दिए गए। प्रसारण में युवा पर्यावरण पत्रकार और कैमरा संपादन तथा कहानी के रूप में कहने के लिए तकनीकी उत्कृष्टता संबंधी पुरस्कार की पहली बार शुरुआत की गई।

इच्छुक लोगों को पर्यावरण विशेष मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी का अवसर प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी से एक पर्यावरणी मूल्यांकन पाठ्यक्रम मॉडल तैयार कराया गया। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इस पाठ्यक्रम का अध्ययन पहले ही शुरू किया जा चुका है।

अब तक देश में 1800 विश्व प्रशिक्षित अध्ययनों को ग्लोब लर्निंग एंड आब्जर्वेशन के लिए शामिल किया गया ताकि 'विद्यालय प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा' कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों से लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम को 16 राज्यों आंध्रप्रदेश, असम, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में परियोजना के एक घटक में रूप में शुरू किया गया। प्रत्येक राज्य में 100 विद्यालयों में इस परियोजना के आधारित पर्यावरणिक मानदण्डों- जलविज्ञान, मृदा, भूमि आरक्षण और वायुमंडलीय तापमान और वृष्टि के परीक्षण करने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय मंत्रालय के अधीन संगठन है। इसे पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1978 में आम लोगों के लिए खोला गया था। पिछले कई वर्षों में इस संग्रहालय ने देश के अलग-अलग भागों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है और मैसूर (कर्नाटक), भोपाल (मध्यप्रदेश), भुवनेश्वर (उड़ीसा) प्रत्येक में एक एक क्षेत्रीय संग्रहालय भी स्थापित किए गये हैं। इन संग्रहालयों की स्थापना संबंधित क्षेत्रों की वनस्पतियों, प्राणियों, वनों, वन्य जीवों और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं को दर्शाने के लिए की गई है।

नई दिल्ली स्थित संग्रहालय प्रदर्शनी हाल में मॉडल्स की एक माह के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस मॉडल को विद्यालय के छात्रों द्वारा 'ओजोन परत का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर 29.10.07 को आयोजित मॉडल मेकिंग कंपिटीशन के लिए बनाया गया था।

'वन संपदा' शीर्षक संबंधी चलती फिरती प्रदर्शनी को उड़ीसा के विभिन्न जिलों में प्रदर्शनी के साथ-साथ प्रकृति एवं वन्य जीवों से संबंधित एक फिल्म दिखाई गई। इस प्रदर्शनी एवं शो में 7800 छात्रों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय वन्य जीव के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्राहलय भोपाल में 17-18 नवम्बर, 2007 के दौरान 'भारत में विलुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त प्राणी' संबंधी एक प्रदर्शनी में 10000 से अधिक छात्रों एवं अध्यापकों ने भाग लिया।

संग्रहालय द्वारा 5 जून, 2007 को इंडिया हेबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस और संग्रहालय का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। माननीय विदेश मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का उद्घाटन किया। ग्रीष्म कार्यक्रम 2007 के सहभागियों द्वारा 'मैल्टिग आइस-एक ज्वलंत विषय' संबंधी यूएनईपी शीर्षक के आधार पर पर्यावरणिक समस्याओं पर इस वर्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत की।

राजस्थान राज्य सरकार से राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (आर-जी-आर एम एन एच), सवाई माधोपुर, राजस्थान के लिए 7.42 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री एम हामिद अंसारी ने इसका दिनांक 23 दिसंबर को शिलान्यास किया।

मंत्रालय में गंगटोक, सिक्किम में पांचवें क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया और इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। यह संग्रहालय जैव विविधता के प्रबल क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करेगा।

वानिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार

वानिकी शिक्षा और प्रशिक्षण की मौजूदा प्रणाली निपुण वन प्रबंधक बनाने हेतु तैयार की गई है ताकि राष्ट्रीय वन नीति, 1988, राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम, 1999 इत्यादि के अनुरूप प्रबंधन बचाव और संरक्षण किया जा सके। वानिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार से संबंधित कार्यकलाप मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, यह विभिन्न संस्थान हैं : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आई जी एन एफ ए), देहरादून; वन शिक्षा निदेशालय (डी एफ ई), देहरादून; भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई सी एफ आई ई), देहरादून ; भारतीय वन प्रबंधन प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आई पी आई आर टी आई), बंगलुरु इत्यादि।

वर्ष 2004-2007 के पाठ्यक्रम को भारतीय वन सेवा के इक्कीस प्रोबेशनर्स अधिकारियों और भूटान के दो विदेशी प्रशिक्षुओं ने तथा वर्ष 2005-2007 के पाठ्क्रम भारतीय वन सेवा के उन्तीस परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा दो विदेशी प्रशिक्षुओं ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून से अपने प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण कर लिए हैं। अब तक वर्ष 1987 से इस अकादमी में भारतीय वन सेवा अधिकारियों के बाइस बैचों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

वर्ष 2007-2009 के पाठ्क्रम में भारतीय वन सेवा के चौबीस परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा दो विदेशी प्रशिक्षु लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फाउंडेशनल पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक दिसंबर 2007 को अकादमी में शामिल हुए।

अगस्त-अक्तूबर, 2007 के दौरान दक्षता उन्नयन पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया गया जिसमें विभिन्न काडरों के 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

अक्टूबर, 2007 के दौरान 'नीति और विविध मामले' संबंधी एक सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों से भारतीय वन सेवा के 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

वन शिक्षा निदेशालय द्वारा नए नियुक्त एसएफएस के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्क्रम और रेंज फॉरेस्ट अधिकारियों के लिए 18 माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के रूप में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

वन्यजीव शिक्षा एवं प्रशिक्षण

वन्यजीव शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य मुख्यत: भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देखा जाता है जो कि मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है और यह सरकारी एवं गैर सरकारी कार्मिकों को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देता है और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी विषयों पर सलाह देता है।

यह संस्थान तीन नियमित पाठ्क्रम जैसे वन्यजीव विज्ञान में 2 वर्षीय एमएससी डिग्री पाठ्यक्रम, वन्यजीव प्रबंधन में 3 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

इस संस्थान ने 20 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से 457 भारतीय एवं 77 विदेशी नागरिकों को और 27 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में 351 भारतीय और 52 विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षित किया है।

यह संस्थान एक वर्ष के अंतराल पर वन्यजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम चलाता है और अभी तक आयोजित 10 पाठ्यक्रमों में 84 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

उत्कृष्टता केंद्र

मंत्रालय ने यह योजना 1983 में पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जागरूकता, अनुसंधान और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए आरंभ की थी। मंत्रालय द्वारा पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जागरूकता, अनुसंधान और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने हेतु अब तक जिन 9 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है, वे निम्नलिखित हैं :-

- पर्यावरण शिक्षा केंद्र, अहमदाबाद
- सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, चेन्नई
- पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, बंगलुरु

- खनन पर्यावरण केंद्र, धनबाद
- सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान केंद्र, दिल्ली
- पारिस्थितिकी अवक्रमण के लिए पर्यावरण प्रबंधन संस्थान, दिल्ली
- मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई में पर्यावरण आर्थिकी में उत्कृष्टता केंद्र
- फाउंडेशन फार रीवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडीशन्स, बंगलुरु
- 3001 कंटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम।

पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीईई) ने भारत सरकार द्वारा ईपी द्वारा 28 नवम्बर, 2007 को अहमदाबाद में प्रायोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। 'यूनाइटेड नेशनल डिकेड ऑफ एजुकेशन' के तीसरे चालू वर्ष के प्रकाश में इस सम्मेलन को खास महत्व दिया गया।

इस सम्मेलन को डीईएसडी के संदर्भ में ईई के स्टेट्स की समीक्षा करने, सतत विकास के लिए शिक्षा को समर्थन देने, पर्यावरण शिक्षा का ढांचा पुनः तैयार करने, अच्छी कार्यपद्धतियां और अनुभवों को परस्पर आदान प्रदान करने तथा विश्व में ईएसडी को प्रौसेस करने की कार्यनीतियां विकसित करने के प्रयोजन से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था जिनमें से लगभग 650 महिलाएं थीं और 150 युवा थे। ये प्रतिभागी विश्व के 97 देशों से आए थे।

सीईई 15 राज्यों और दो संघशासित क्षेत्रों में संसाधन एजेंसी है तथा इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए एवं निधिप्राप्त देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इसमें लगभग 40000 स्कूल शामिल हैं। नेशनल ग्रीन कोर का लक्ष्य पारिस्थिकीय क्लब के कार्यों के माध्यम से तथा व्यापक स्तर पर बच्चों के माध्यम से समाज में पर्यावरणीय जागरूकता का प्रसार करना है। मास्टर प्रशिक्षकों के शिक्षा सामग्री के विकास और वितरण, पर्यावरण दिवस का आयोजन, ईको–बालमेला तथा मोगली उत्सव जैसे समारोहों के आयोजन तथा कार्यशाला सहित विभिन्न कार्यकलाप किए गए।

वर्ष 2007–08 के दौरान, सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केंद्र के साझेदारियों की विशिष्ट जरूरतों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फोकस रहा। आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम तटीय समुदायों ओर गैर सरकारी संगठनों के लिए आयोजित किए गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के दक्षिणी राज्यों में यह कार्यक्रम चलाए गए।

पर्यावरण कार्यक्रमों को और अधिक कारगर बनाने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, वर्मी–कम्पोस्टिंग तकनीकों, धुएं रहित चूल्हों के निर्माण आदि में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं के समूहों को रसोई घर के आस–पास बागवानी के लिए बीज और पौधे वितरित किए गए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के राज्यों के एनजीओ के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र (सी ई एस), भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु ने इस वर्ष 'जैव विविधता और प्रशिक्षण क्रिया–व्यापार, और विकास जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव' शीर्षक के तहत 30 अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित कीं। इसके अलावा, इस केंद्र ने पी एच डी छात्रों के लिए अनेक पाठ्यक्रम चलाए, संस्थाओं के वैज्ञानिकों तथा अन्य छात्रों की मेजबानी की तथा उससे जुड़े अन्य लोगों व, वन विभाग के लिए अनेक कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

सी.ई.एस. ने मॉलिक्यूलर पारिस्थितिकीय विज्ञान में नए कार्यक्रम शुरू किए। इसमें मॉलिक्यूलर फिलोगेनी का अध्ययन तथा कर्नाटक में हनुमान–लंगूर मार्फोटाइप तथा जेनेटिक्स का सर्वेक्षण किया

गया। इसका रोचक परिणाम यह निकला कि जैव-भौगोलिक बाधा (बैरियर) के रूप में जाना जाने वाला 'पालघाट गैप' से आनुवंशिकी विभिन्नता वाले पश्चिमी घाट के बड़े स्तनधारी जीवों का पता चला।

खनन पर्यावरण केंद्र में इस वर्ष तीन अनुसंधान और विकास परियोजनाएं लगातार चलती रहीं।

सलीम अली पक्षी विज्ञान (आर्निथोलॉजी) तथा प्राकृतिक विज्ञान केंद्र द्वारा एवियन प्रजातियों से संबंधित विशिष्ट अध्ययन किए गए। इनमें 'पश्चिमी भारत में चारा-भूमि नैटर्वक के विकास के लिए अपेक्षाकृत कम फ्लोरिकन थ्रीडिंग स्थलों के अभिनिर्धारण तथा मानचित्रण का अध्ययन' शामिल है। इसके अलावा 'पारिस्थितिकीय-विज्ञान और आंध्रप्रदेश में स्पॉट-बिल कृत पेलिकन का परिरक्षण', तथा दक्षिणीपूर्वी घाट में इनकी भूमिका के विशेष संदर्भ में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (ऑसिसेरोस बाइरोस्ट्रिस) अध्ययन भी शामिल है।

राष्ट्रीय खनिज विकास कार्पोरेशन, बेचेली की बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के फाइन अयस्क डम्प (डिपोजिट 5, 10, 11ए) में अवनत प्रणाली पर्यावरण प्रबंधन केंद्र (सी ई एम डी ई) द्वारा विकसित घास के मैदान ने 90% घास उगाई है तथा कूड़ा करकट और जैव पदार्थ तथा माइक्रोबियल कार्यों से जैवविज्ञानी उत्पादकता ही नहीं बढ़ी, बल्कि पुनर्वास की दिशा में भी प्रगति हुई है। घास के मैदान में सल्टोनिया स्कॉलेरिस, मेकारंगा, ट्रेमा, जंगली मेन्नगीफेरा, वुड फोर्डिया, तथा एटीलोसिया जैसी काष्ठ प्रजातियां के प्रौढ़ को भी आश्रय मिला है। ये मूल नमी वाले अर्ध सदाबहार वन की प्रारंभिक प्रजातियां हैं।

स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा के पुनर्रुज्जीवन फाउंडेशन द्वारा मणिपुर, हिमालय प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा कर्नाटक जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोटेनिकल सर्वेक्षण किए गए। 2100 से ज्यादा पौधों के नमूने इन बोटेनिकल अभियानों में एकत्रित किए गए। प्रक्रमण तथा नमूने के अंतिम अभिनिर्धारण के बाद पौधों की कुल लगभग 200 प्रजातियां हर्बेरियम में जोड़ी गईं।

एफ आर एल एच टी कैम्पस में स्थित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के उद्यान में 800 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं। इस वर्ष, इस उद्यान में 60 और औषधीय पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं। इस उद्यान के विन्यास को सुधारा गया है, जिसमें चार और विषय जोड़े गए हैं। इनमें जंगली खाद्य तथा औषधीय फूल तथा पवित्र औषधीय पौधे भी शामिल हैं।

फेलोशिप और अवार्ड्स

इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार

वर्ष 2003 और 2004 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में पुरस्कार समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। 5 जून, 2007 को आयोजित पुरस्कार समारोह में पुरस्कार दिए गए।

इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र (आई पी एम) पुरस्कार

वर्ष 2005 तक पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब पुरस्कारों का ढांचा पुन: तैयार करने पर विचार किया जा रहा है ताकि पुरस्कार विजेताओं की प्रोफाइल में सुधार हो, जिससे ये लोग लंबे समय तक रोल मॉडल बने रहें। वृक्षारोपण कार्यकलाप के लंबे समय तक प्रबंधन चक्र की दृष्टि से इसकी जरूरत है।

पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप

वर्ष 2006 के लिए फैलोशिप पर कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष फेलोशिप के अवार्ड के लिए दिशानिर्देशों तथा मानदंडों में संशोधन किया गया; आवेदक की आयु सीमा 60 वर्ष तक तय की गई।

बी.पी. पाल राष्ट्रीय जैव विविधता संबंधी पर्यावरण फेलोशिप

वर्ष 2005 के लिए यह फेलोशिप डॉ. आर. सुकुमार पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान (11 एससी) बंगलुरु को दिया गया। वर्ष 2006 के लिए यह फेलोशिप डॉ. के. एस. बांगरवा को दिया गया। सी सी एस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा को दिया गया।

मेदिनी पुरस्कार योजना

मंत्रालय की मूल्यांकन समिति द्वारा वर्ष 2006 के इस पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया।

पर्यावरण सूचना

पर्यावरण सूचना प्रणाली (एन्विस)

पर्यावरण सूचना पर्यावरण प्रबंधन नीतियों के लागू करने में ही आवश्यक भूमिका नहीं निभाती, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा तथा प्राणियों के लिए उत्तम जीवन गुणवत्ता बनाए रखने की ओर लक्ष्य बद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसका अत्यंत महत्व है। समुचित पर्यावरण सूचना संरक्षण की आवश्यकता अनुभव करते हुए, इस मंत्रालय ने योजना कार्यक्रम तथा पर्यावरणीय सूचना संचय, कॉलेशन, भंडारण, रिट्रीवल तथा निर्णय लेने वालों, अनुसंधान-वैज्ञानिकों, आदि जैसे अलग प्रयोक्ताओं तक सूचना प्रसार के विशेष नेटवर्क के रूप में पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (एन्विस) गठित की है। नेटवर्क में इस समय 76 नेटवर्क साझेदारी की शृंखला है, जिसमें से 46 विषय न्विविशिष्ट हैं तथा 30 राज्य से संबंधित मुद्दों से जुड़े हैं। इन नेटवर्क साझेदारों को एनन्विस केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र देश भर के उल्लेखनीय संगठनों/संस्थाओं/संघ शासित सरकारी विभागों/विश्वविद्यालयों में स्थित हैं तथा यह एनन्विस नेटवर्क के सभी साझेदारों के कार्यकलापों को समन्वित करता है ताकि एनन्विस को वेब योग्य व्यापक सूचना प्रणाली बनाया जा सके ।

वर्ष के दौरान, इस नेटवर्क द्वारा सूचना से संबंधित कार्यकलापों द्वारा डाटाबेस विकास, और न्यूजलेटर, सार सेवाओं, आदि के माध्यम से अपेक्षित सूचना पैकजों के प्रकाशन और प्रश्नोत्तरी सेवाओं संबंधी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं।

इस मंत्रालय का एनन्विस केंद्र बिन्दु इस मंत्रालय की वेब साइट (URL:http://envfor.nic.in) को अद्यतन बनाने तथा सभी संबंधितों को वेबासाइट के माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। इस वेब साइट को प्रतिमाह लगभग 1.75 लाख लोगों ने प्रयोग किया इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता शामिल हैं।

एनन्विस तथा इसके सभी साझेदारों ने इस वर्ष 17800 से भी अधिक सवालों का जवाब दिया। तथा यथासंभव रूप से महत्वपूर्ण/सार्थक सूचना प्रदान की।

लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, देहरादून तथा हैदराबाद में इस वर्ष आयोजित क्षेत्रीय मूल्यांकन समितियों द्वारा एनन्विस नेटवर्क साझेदारों के कार्यकलापों का मानीटरन तथा मूल्यांकन किया गया।

एनन्विस फोकल प्वाइंट ने 'डाटाबेस ऑफ एन्वायरन्मेंटल एक्सपर्ट इन इंडिया : 2007' नामक भारत के पर्यावरणीय विशेषज्ञों की डाइरेक्टरी प्रकाशित की। देश में पर्यावरण विज्ञानों के अनेक क्षेत्रों के पर्यावरणीय विशेषज्ञों/प्रोफेशनल की प्रोफाइल दी गई ताकि अनुसंधान परियोजनाओं में, उनके मूल्यांकन तथा विभिन्न समुदायों के सदस्यों को उससे जुड़ने के लिए इन विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।

इस वर्ष के दौरान मंत्रालय के साथ परामर्श करके विश्व प्रकृति निधि, भारत में एनन्विस केंद्र द्वारा 'ए डाइरेक्टरी ऑफ एनवायरमेंटल एनजीओ इन इंडिया-2007' प्रकाशित की गई। सभी राज्यों तथा संघ शासित केंद्रों में पर्यावरण संरक्षण, परिरक्षण तथा जागरूकता की ओर कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों का इस निर्देशिका (डाइरेक्टरी) में ध्यान रखा गया है।

एस ओ ई रिपोर्ट तैयार करते समय साझेदारों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए, इस मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2007 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की ताकि एसओई रिपोर्टिंग के विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाए।

विधान एवं संस्थागत सहयोग

इस मंत्रालय का नीति एवं विधि प्रभाग प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता, पर्यावरण नीति एवं कानून तथा 'पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की स्थापना' नामक स्कीमें अंशत: कार्यान्वित कर रहा है तथा विद्यमान विधान/अधिसूचना में संशोधन या नए विधान के प्रवर्त्तन के लिए आवश्यक होने पर अन्य थिमेटिक प्रभागों को वैधानिक एवं संस्थागत सहयोग दे रहा है। इसके अलावा विभाग राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन, कानून आयोग की 186 वीं रिपोर्ट की सिफारिशों और इकोमार्क योजना को लागू करने का कार्य भी विशेष तौर पर देखता है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को बड़े पैमाने पर परिचालित किया गया है और यह मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एन ई पी 2006 में पर्यावरण से संबंधित मामलों को 11 वीं योजना अवधि के दौरान उचित ढंग से सेक्टोरल/राज्य के विकास योजनाओं में एकीकृत किया जाए।

मंत्रालय ने कानून आयोग की 186 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में विधेयक लाने के लिये कानून एवं न्याय मंत्रालय के वैधायी विभाग को प्रस्ताव का मसौदा भेजा जा चुका है।

उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और उत्पादों को उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए ईको-मार्क योजना बनाई गई। इस इको मार्क योजना पर विचार किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सतत विकास

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बहु पक्षीय पर्यावरणीय करारों के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए विएना सम्मेलन, ओजोन परत में छेद करने वाले पदार्थ पर मोंट्रियल समझौते, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेशन, मरुस्थलीयकरण को रोकने के लिए संयुक्त का सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकाल, खतरनाक पदार्थों के एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश पर बासेल सम्मेलन, चिरस्थायी आर्गेनिक प्रदूषण वाले कारक पर स्टॉकहोम सम्मेलन इत्यादि सम्मिलित हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थाई विकास प्रभाग, रेमसट सम्मेलन, आर्गेनिक प्रदूषकों पर रोर्टरडम सम्मेलन भी इसमें शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी), यू एल डी पी, विश्व बैंक, यू एन आई ओ, सतत विकास के लिए यू एन आयोग (सी एस डी), ग्लोबल इन्वरामेंट फैसिलिटी (जी ई पी), तथा क्षेत्रीय निकायों जैसे एशिया एवं पैसिफिक के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ई एस सी

ए पी), क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया समन्वय पर्यावरण कार्यक्रम (एस ए सी ई पी) ए डी बी और यूरोपीयन यूनियन (ई यू) के लिए नोडल संस्था है। प्रभाग पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को भी देखता है।

आयोग का पंद्रहवां सत्र दिनांक 30 अप्रैल से 11 मई 2007 को न्यूयार्क में सतत विकास पर आयोजित हुआ था जिसमें सतत विकास के लिए ऊर्जा का थिमेटिक एरियाज, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण/वायुमंडल एवं औद्योगिक विकास पर विचार किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा द्वारा किया गया। 15 वें सी एस डी के कार्यों के बारे में जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:-www.un.org//sn/sustdev/csd/csd15/csd15.htm.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासकीय परिषद, ग्लोबल मिनिस्ट्रीयल इन्वायरमेंटल फोरम का विशेष सत्र 20-22 फरवरी, 2008 को मोनाको में आयोजित हुआ था। सत्र का मुख्य मुद्दा 'वैश्वीकरण तथा पर्यावरण', 'चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना' था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री ने किया था।

8वां दिल्ली स्थाई विकास सम्मेलन 7-9 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में टी ई आर ई द्वारा आयोजित किया गया था और सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। इस बार मुख्य मुद्दा 'स्थाई विकास और जलवायु परिवर्तन' था जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और स्थाई विकास जैसे मुद्दों पर वैश्विक परिचर्चा पर महत्वपूर्ण योगदान देना था।

पर्यावरण और वन के सचिव दक्षिण एशिया समन्वय पर्यावरण कार्यक्रम (एस ए सी ई पी) भारत के प्रमुख हैं। एस ए सी ई पी अपने शासकीय परिषद (जी सी) के बैठक को आयोजित करता है जो वर्तमान क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है। एस ए सी पी के 10वीं शासकीय परिषद का आयोजन 25 फरवरी, 2007 को काठमांडू में हुआ था। बैठक में संस्थागत मामलों, परियोजना की स्थिति और कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भूटान में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन (सार्क) वानिकी की स्थापना रही। भारत सार्क का वर्तमान अध्यक्ष है और सार्क के विविध फोरम की घोषणाओं को प्रचालित करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने क्षमता के विस्तार एवं तकनीकी समर्थन में क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव दिया है।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। 2007 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल की चौथी आकलन रिपोर्ट में पृथ्वी के भविष्य की गंभीर तस्वीर दर्शाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापन का पृथ्वी की जलवायु पर घातक प्रभाव पड़ सकता है। इस वक्त की पूरी संभावना है कि जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभावों में वृद्धि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में अथवा अनुकूलन की क्षमता क्षीण करके परोक्ष रूप में स्थाई विकास की दिशा में प्रगति को धीमा कर सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अधिक ठोस योजना देने के लिए 1997 के सम्मेलन के सदस्य देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल (संधि के पूर्व दस्तावेज) में विकसित देशों को आश्वस्त किया है कि 2008-2012 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 से नीचे औसतन 5.2% की दर से कम किया जाएगा, इसमें पारगमन के क्षेत्र में मित्तव्ययता की बात भी कही गई है। क्योटो प्रोटोकॉल (संधि के पूर्व दस्तावेज) 16 फरवरी, 2005 से लागू किया गया। भारत भी इसका एक सदस्य देश है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय रणनीति और भारत में स्थाई विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और ऊर्जा सक्षम दो नई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ विकास मैकेनिज्म (सी डी एम) प्राधिकारी की बैठकों का समय-समय पर आयोजन किया गया, ताकि आयोजक देश के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सी डी एम परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जा सके। दिसम्बर, 2007 तक राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकारी ने जैवद्रव्य आधारित सह उत्पादन, ऊर्जा प्रवीणता, नगर से निकलने वाले अपशिष्ट के क्षेत्र में 772 परियोजनाओं; नवीनीकरण योग्य जैसे हवा, लघु जलीय परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। इन परियोजनाओं से वर्ष 2012 तक 433 मिलियन प्रमाणित उत्सर्जन कम किया जा सकेगा, बशर्ते कि इन सभी परियोजनाओं का पंजीकरण सीडीएम कार्यकारी बोर्ड के साथ सफलतापूर्वक हो जाए।

केंद्रीय बजट 2007-08 प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा में सरकार ने श्री आर. चिदम्बरम, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ने भारत सरकार की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति का गठन दिनांक 7 मई, 2007 को किया। समिति के विषयों में भारत में मानवोत्पत्तिजनक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों की सुभेद्यता को कम करने के संबंध में भविष्य में किए जाने वाले उपायों की पहचान करना है। विशेषज्ञ समिति में शिक्षा जगत, विज्ञान और विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों और विभागों से भी ख्याति प्राप्त लोगों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति, जिसे जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के नाम से जाना जाता है, का गठन जून, 2007 में जलवायु परिवर्तन के मूल्याकंन, अनुकूलन और शमन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने के लिए किया गया। परिषद की पहली बैठक जुलाई, 2007 में और दूसरी नवम्बर, 2007 में हुई। बहुत से निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्रस्तावित कार्रवाई को शामिल कर एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया जाए, जिसे जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जाए।

जलवायु परिर्वतन पर अंतर सरकारीय पैनल ने नवंबर 2007 में जलवायु परिवर्तन के आकलन पर अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट वर्ष के दौरान जारी तीन कार्यकारी समूहों की रिपोर्टों पर आधारित है। पहली रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के विज्ञान, दूसरी उसके प्रभाव, अनुकूलन और जलवायु के शमन और तीसरी जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित है।

जलवायु परिवर्तन पर भारत-यू.के. संयुक्त अनुसंधान का दूसरा दौर संयुक्त वार्ता के रूप में शुरू किया गया था। भारत का पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा यू.के. के पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण कार्य विभाग (डीईएफआरए) ने संयुक्त रूप से भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अनुकूलन पर एक त्रिवर्षीय अनुकूलन कार्यक्रम की योजना बनाई है। परियोजना जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्रीय प्रभावों के आकलन (मूल्यांकन) में भारत की विद्यमान विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जलवायु परिवर्तन भविष्यवाणी मॉडलों में अनिश्चितता को कम करने और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।

ओजोन परत संरक्षण

भारत सरकार ने ओजोन परत संरक्षण और मोंट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य इस मंत्रालय को सौंपा है। मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय यूनिट के रूप में देख-रेख करने और प्रोटोकॉल और भारत

में इसके चरणबद्ध कार्यक्रमों (ओडीएस) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सेवाएं देने के उद्‌देश्य से ओजोन सेल की स्थापना की है। मंत्रालय ने एक सशक्त विषय संचालन समिति (ईएससी) का गठन किया है। इसके अध्यक्ष, सचिव (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) हैं। इसको स्थाई समिति का सहयोग प्राप्त है। ये समितियां मोंट्रियाल प्रोटोकॉल उपबंधों के कार्यान्वयन, परियोजना अनुमोदन और परियोजना मॉनीटरिंग विकल्पों, परियोजना अनुमोदन और परियोजना मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

भारत में मोंट्रियाल प्रोटोकॉल की नियंत्रण अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित अनुपालन तिथियों को पूरा किया है :

- सीएफसी उत्पादन और खपत का जुलाई, 1999 में क्रमश: 22588 ओडीपी टन और 6681 ओडीपी टन तक सीमित करना।
- 01–01–2002 को हेलोन उत्पादन और खपत को सीमित करना।
- 2003 में हेलोन उत्पादन और खपत को पूरी तरह फेज–आउट करना।
- 2005 में सीएफसी उत्पादन और खपत में 50% की कमी (उत्पादन 22588 मी.टन और खपत 6681 मी.टन)
- 2005 में सीटीसी उत्पादन और खपत में 85% की कमी (उत्पादन 11525 मी.टन से 1508 मी.टन और खपत 11537 मी.टन से 1493 मी.टन)

ओजोन परत के संरक्षण के लिए तेरहवां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितम्बर, 2007 को दिल्ली में मनाया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की विषय वस्तु में 'प्रगति के 20 वर्षों का आयोजन' शामिल था। श्री सत्य साई सभागार, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में लगभग 500 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर उनके बीच पोस्टर, पेंटिंग और नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रत्येक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 3 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ओजोन सेल के प्रकाशन–*मोंट्रियाल प्रोटोकॉल : इंडियास सक्सेस स्टोरी* का विमोचन और वितरण किया गया।